एनसीवीईटी परिषद् की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान: एनसीवीईटी, कौशल भवन

दिनांक: 21 फरवरी 2024

समय: दोपहर 12:00 बजे

फ़ाइल सं.: 360004/04/2020/एनसीवीईटी
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार

21 फरवरी 2024 को आयोजित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की 10वीं परिषद् बैठक डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में 21 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। इस बैठक के प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ने डॉ. रजनीश, आईएएस, अपर सचिव और विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्‌यम मंत्रालय, श्री कुंतल सेन शर्मा, आईईएस, आर्थिक सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री गोविंद जायसवाल, आईएएस, संयुक्त सचिव (टीईएल), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का स्वागत किया, जिन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्‌वारा दिनांक 9 जनवरी, 2024 के एमएसडीई आदेश सं. 31/1/2024-ईओ (एसएम.II)-02 के माध्यम से एनसीवीईटी के गैर-कार्यकारी सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया गया है।

परिषद् द्‌वारा बैठक में जिन कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और जो निर्णय लिए गए, वे आगामी पैराओं में दिए गए हैं।

1. दिनांक 17 अगस्त 2023 को आयोजित की गई एनसीवीईटी परिषद् की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

1.1 दिनांक 17 अगस्त 2023 को आयोजित की गई एनसीवीईटी परिषद् की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त परिचालित किया गया था। कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इस बात पर भी चर्चा की गई कि परिषद् द्‌वारा 24 अगस्त, 2023 को ईएस/एलएस/एसएस मॉड्‌यूल्स/सब मॉड्‌यूल्स की विषय-वस्तु तैयार करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक कार्यसूची अनुमोदित की गई थी। परिषद् ने संकल्प लिया कि यदि ऐसी कोई कार्यसूची जो परिचालन द्‌वारा अनुमोदित की जाती है, उसे कार्यवृत्त में भी शामिल किया जाए ताकि इस प्रकार अनुमोदित की गई कार्यसूचियों का उचित रिकॉर्ड फ़ाइल में रखा जा सके।

1.2 ***परिषद् ने 17 अगस्त, 2023 को आयोजित*** एनसीवीईटी परिषद् की 9वीं बैठक ***के कार्यवृत्त की पुष्टि की और कार्यसूची को परिचालन द्‌वारा अनुमोदित किया गया।***

2. दिनांक 17 अगस्त, 2023 को आयोजित परिषद् की 9वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

2.1 परिषद् की 9वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का विस्तृत विवरण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। **परिषद् ने की गई कार्रवाई को नोट किया और इसे अनुमोदित किया।**

2.2 लंबित अनुपालनाओं पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

2.2.1 एक वर्ष अर्थात अगस्त 2023-अगस्त 2024 तक की अवधि के लिए राज्य सरकारों और उद्योग संघों को एनएसक्यूसी का सदस्य नामित करना: परिषद् को सूचित किया गया कि दो उद्योग संघों को एक वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से एनएसक्यूसी के विशेष आमंत्रियों के तौर पर नामित किया जाता है और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से और नामों का सुझाव देने का अनुरोध किया गया है जिन्हें एनएसक्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिषद् सदस्य ने सुझाव दिया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम कर रही कोलकाता-स्थित कंपनी इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। परिषद् ने इस सलाह की सराहना की और आईसीसी को विशेष आमंत्रियों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया और अन्य सदस्यों से भी प्रति माह आयोजित की जा रही एनएसक्यूसी की बैठकों में विशेष आमंत्री के तौर पर शामिल करने हेतु आमंत्रण भेजने के लिए शामिल किए जा सकने वाले उद्योग संघों के नाम सुझाने का अनुरोध किया।

3. पात्र अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा अधिकारप्राप्त उप-समिति के निर्णयों की पुष्टि।

3.1 दिनांक 05 दिसंबर, 2018 की एनसीवीईटी की अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू द्वारा अवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलन एजेंसियों (एए) के तौर पर मान्यता प्रदान करने के अधिदेश के अनुसरण में एनसीवीईटी पात्र इकाइयों को एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया का सतत रूप से और तत्परता से अनुपालन कर रही है।

3.2 परिषद् को दिनांक 20.02.2024 को अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी के लिए प्रस्तावों को मान्यता देने की स्थिति के बारे में सूचित किया गया था। प्रस्तावों की विस्तृत स्थिति क्रमश: **अनुबंध-II, अनुबंध-III और अनुबंध-IV** पर दी गई है। अवार्डिंग

निकाय और आकलन एजेंसी के लिए प्रस्तावों को मान्यता देने की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के चरण	अवार्डिंग निकाय	आकलन एजेंसी	कुल
1)	आवेदक निकायों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	164	205	**369**
2)	आवेदक निकाय द्वारा वापस लिए गए आवेदनों/प्रस्तावों की संख्या	18	49	**67**
3)	एनसीवीईटी के विचारार्थ आवेदन	146	156	**302**
4)	ऐसे आवेदन जिनमें समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है	123	145	**268**
5)	आवेदक निकायों से दोबारा शेड्यूल करने के अनुरोध प्राप्त होने या आवेदक निकायों से सूचना प्रतीक्षित होने के कारण समीक्षा, प्रोसेसिंग के तहत आवेदन	23	11	**34**
6)	विस्तृत समीक्षा और मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं पाए गए आवेदन	24	79	**103**
7)	आयोजित की गई उप-समिति की बैठक। तथापि आवेदक निकाय से टिप्पणियों की अनुपालना प्रतीक्षित है	06	01	**07**
8)	आवेदक निकाय को आशय पत्र जारी किया गया और अनंतिम मान्यता प्रदान की गई	03	03	**06**
9)	**आवेदक निकाय को नियमित मान्यता प्रदान करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए**	**90**	**62**	**152**

परिषद् ने इस संबंध में प्रगति को नोट किया और ऊपर पैरा 3.2 के अंतर्गत तालिका में सूचीबद्ध प्रस्तावों को मान्यता देने के लिए की गई कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया, और संलग्न किए गए अनुबंध-II और अनुबंध-III के अनुसार अब तक प्रदान की गई मान्यताओं की पुष्टि की।

4. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के दिशानिर्देशों की स्थिति की रिपोर्टिंग और पुष्टि।

4.1 परिषद् को आकलनकर्ताओं और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया गया, और यह सूचित किया गया कि प्रशिक्षण को मानकीकृत करने की आवश्यकता महसूस

करते हुए हितधारकों के साथ विभिन्न विस्तृत परामर्शों पर चर्चा करने के बाद प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और आकलकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का मसौदा जनता के साथ परामर्श हेतु 21 दिन के लिए एनसीवीईटी की वेबसाइट पर रखा गया था। हितधारकों से प्राप्त संगत जानकारी को दिशानिर्देशों में समाविष्ट किया गया है और परिषद् के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप से तैयार दिशानिर्देश अधिसूचित किए जाएंगे। दिशानिर्देश निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

टीओटी के लिए लिंक

https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/02/ToT-Guidelines.pdf

टीओए के लिए लिंक

https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/12/Draft-Guidelines-for-Training-of-Assessors-ToA.pdf

परिषद् ने इस संबंध में प्रगति को नोट करते हुए इस पर संतुष्टि जताई और इसकी पुष्टि की।

5. बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी उद्योग के कौशलीकरण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के एनएसक्यूएफ के साथ संरेखण और क्रेडिटाइजेशन की रिपोर्टिंग और इसकी पुष्टि

5.1 परिषद् को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई जिन्हें वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को नियुक्त करने, उन्हें कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जिससे ये कंपनियाँ अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी जानकारी और अभिनव सोच प्रदान कर पाती हैं। इससे शिक्षार्थियों को अन्य कंपनियों के पास उपलब्ध ऐसे समान उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं की मूलभूत जानकारी भी मिलती है। अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण और कौशलीकरण पाठ्यक्रम उद्योग में मान्यताप्राप्त होते हैं और सही मायनों में वैश्विक जॉब मार्केट की ज़रूरतों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ छात्रों और शिक्षार्थियों की जानकारी को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाते हैं जिससे वे भारतीय और वैश्विक बाजार के लिए रोजगार योग्य और जॉब के लिए तैयार होते हैं।

5.2 भारत में कुशल मानवशक्ति का एक विश्वस्तरीय पूल बनाने के लिए कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रयासों में अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की

महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एनसीवीईटी ने मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम)/मूल डिज़ाइन निर्माताओं (ओडीएम)/मूल्यवर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर)/अन्य उद्योग निकायों के साथ-साथ अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे उद्योग-संबंधित तथा उद्योग-प्रेरित कौशलीकरण कार्यक्रमों के क्रेडिटाइजेशन के लिए कौशलीकरण के दायरे में लाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

5.3 ये दिशानिर्देश मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम)/मूल डिज़ाइन निर्माताओं (ओडीएम)/मूल्यवर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर)/अन्य उद्योग निकायों को छात्रों, शिक्षार्थियों, शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योग और व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय कौशलीकरण इकोसिस्टम के हित में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अंतर्गत क्रेडिटाइजेशन सहित उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण एवं कौशलीकरण इकोसिस्टम के साथ संबद्ध करने में सक्षम बनाते हैं।

5.4 परिषद् को यह भी बताया गया कि मान्यताप्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए ऐसे पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) द्वारा भी कार्यान्वित किया जा सकता है।

5.5 दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिए गए हैं और 15 नवंबर 2023 को एनसीवीईटी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं। निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से ये दिशानिर्देश देखे जा सकते हैं:

https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/02/Guidelines-for-Creditisation-ofSkilling-and-Training-Courses-and-Qualifications-of-MNCs-and-Leading-Indian-Enterprises.pdf

परिषद् ने इस पहल को नोट किया और इसकी पुष्टि की।

6. जनता के साथ उचित रूप से परामर्श करने के बाद उच्च शिक्षा (एचई) और स्कूली शिक्षा (एसई) सहित व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण (वीईटीएस) में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप देना और इनका अनुमोदन।

6.1 परिषद् को सूचित किया गया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को अनुमोदित कर दिया गया है और यूजीसी द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2023 को अधिसूचित कर दिया

गया है। तत्पश्चात एनसीवीईटी ने भी 12 मई 2023 को जारी किए गए एक आदेश के माध्यम से एनसीआरएफ को अंगीकार कर लिया है।

6.2 एनसीआरएफ को प्रचालन में लाने और एनसीआरएफ के कार्यान्वयन के दौरान आ रही किन्हीं कठिनाइयों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 10 मई 2023 के आदेश द्वारा अध्यक्ष, यूजीसी की अध्यक्षता और अध्यक्ष, एनसीवीईटी की सह-अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति ने 19 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी पहली बैठक में 28 जून 2023 को तीन उप-समितियां गठित करने का निर्णय लिया, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा - प्रत्येक के लिए एक उप-समिति, ताकि इनके संबंधित इकोसिस्टम के अंदर कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें।

6.3 इन तीनों उप-समितियों ने व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण (वीईटीएस) में एनसीआरएफ के कार्यान्वयन के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएँ तैयार कर ली हैं। मानक संचालन प्रक्रिया को 25 जनवरी 2024 तक जनता के साथ परामर्श के लिए रखा गया था। प्राप्त हुए संगत फीडबैक/टिप्पणियों को उचित रूप से समाविष्ट कर लिया गया है और अंतिम रूप से तैयार मानक संचालन प्रक्रिया उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) को प्रस्तुत कर दी गई है। दिशानिर्देश निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से देखे जा सकते हैं:

(https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/01/Draft-SOP_for_operationalization-of_NCrF-in-VETS-public-comments.pdf)

परिषद् ने प्रगति को नोट करते हुए संतुष्टि जताई और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमोदित किया। इसके बाद यह भी निर्णय किया गया कि तीनों मानक संचालन प्रक्रियाओं को और इनपुट्स/सुझावों के लिए परिषद् के सदस्यों के साथ साझा किया जाए।

7. "डिजिटल सामग्री सृजन और गुणवत्ता फ्रेमवर्क" के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने और जनता के साथ परामर्श, अंतिम रूप देने और अधिसूचना के लिए अनुमोदन की स्थिति पर रिपोर्टिंग।

7.1 परिषद् को सूचित किया गया कि एनसीवीईटी ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) और कौशलीकरण इकोसिस्टम में डिजिटल सामग्री सृजन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ऑनलाइन डिजिटल सामग्री का कार्यक्षेत्र और आवश्यकता मिश्रित शिक्षण कार्यक्रमों में सामग्री की गुणवत्ता और सुलभता को बेहतर बनाने के लिए है।

7.2 इन दिशानिर्देशों में एक ऐसी कार्यनीति तैयार करने पर ज़ोर दिया गया है जो धीरे-धीरे एक व्यापक सामग्री भंडार बनाते हुए सीखने के अनुभव में बड़े पैमाने पर बदलाव और अनुकूलन लाने के लिए वीईटीएस सामग्री हेतु एक मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाएं।

7.3 परिषद् को आगे सूचित किया गया कि हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर चर्चा करके दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब इन्हें कम से कम 21 दिन की अवधि के लिए जनता के साथ व्यापक परामर्श हेतु एनसीवीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। हितधारकों से प्राप्त संगत फीडबैक को समाविष्ट किया जाएगा और इसके बाद **"डिजिटल सामग्री सृजन और गुणवत्ता फ्रेमवर्क"** पर दिशानिर्देशों के लिए **राजपत्र में अधिसूचना** प्रकाशित की जा सकती है।

7.4 दिशानिर्देशों के मसौदे की प्रति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://drive.google.com/file/d/1GIrTvtjVUkBSSGWfaH3-jLB6KIEITq41/view?usp=sharing

परिषद् ने इस पर संतुष्टि जताते हुए इसे नोट किया और प्रमुख हितधारकों को इसकी प्रति भेजते हुए जनता के साथ परामर्श के लिए इसे वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुमोदन प्रदान किया। परिषद् के सदस्यों से भी उनकी टिप्पणियाँ/फीडबैक साझा करने का अनुरोध किया गया जिन्हें इन दिशानिर्देशों में समाविष्ट किया जा सके। प्राप्त हुई टिप्पणियों की जाँच की जाएगी और इन्हें उचित रूप से दिशानिर्देशों में समाविष्ट किया जाएगा जो राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए जाएंगे।

8. एनसीवीईटी के आंतरिक उपयोग और जनता के साथ परामर्श, अंतिम रूप देने और अधिसूचना के लिए अनुमोदन हेतु सूचना एवं डेटा सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की स्थिति के संबंध में रिपोर्टिंग

8.1 परिषद् को सूचित किया गया कि एनसीवीईटी ने एनसीवीईटी द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले व्यापक संवेदनशील डेटा की अखंडता और गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए **आंतरिक उपयोग हेतु सूचना और डेटा सुरक्षा** संबंधी दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं। इन

दिशानिर्देशों में कर्मचारियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की व्यक्तिगत सूचना, आकलन परिणामों, प्रत्यायन के विवरण और विभिन्न अन्य गोपनीय रिकॉर्ड्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण को देखते हुए डेटा उल्लंघन, अनधिकृत पहुँच, और एनसीवीईटी की देखरेख में की जाने वाली गतिविधियों पर विश्वास और इनकी प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाले सायबर खतरों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए मजबूत "सूचना एवं डेटा सुरक्षा" उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य है। ये दिशानिर्देश एनसीवीईटी के लिए अनिवार्य न्यूनतम सूचना सुरक्षा ज़रूरतों को परिभाषित करेंगे।

8.2 इसके अतिरिक्त एनसीवीईटी के साथ संबद्ध होने वाली कोई भी इकाई अपनी व्यक्तिगत व्यवसाय ज़रूरतों और विशिष्ट कानूनी एवं संघीय आवश्यकताओं के आधार पर इन दिशानिर्देशों को अपना सकती है और इन दिशानिर्देशों में उनकी सुरक्षा आवश्यकताएँ भी जोड़ सकती है, परंतु उन्हें कम से कम इन दिशानिर्देशों में निर्धारित सुरक्षा स्तर प्राप्त करने होंगे।

8.3 परिषद् को यह भी सूचित किया गया कि ये दिशानिर्देश कर्मयोगी भारत द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर बनाए गए हैं और एनसीवीईटी ने संगठन विशेष की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए एनआईसी के साथ चर्चा की है। दिशानिर्देशों के मसौदे की प्रति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://drive.google.com/file/d/1D2ZDJwB7TTS6vDnqNCxLeeqUbjjbjozS/view?usp=sharing

परिषद् ने उपर्युक्त कार्यसूची मद पर संतुष्टि जताते हुए इसे नोट किया और प्रमुख हितधारकों को इसकी प्रति भेजते हुए जनता के साथ परामर्श के लिए इसे वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुमोदन प्रदान किया। परिषद् के सदस्यों से भी उनकी टिप्पणियाँ/फीडबैक साझा करने का अनुरोध किया गया जिन्हें इन दिशानिर्देशों में समाविष्ट किया जा सके। प्राप्त हुई टिप्पणियों की जाँच की जाएगी और इन्हें उचित रूप से दिशानिर्देशों में समाविष्ट किया जाएगा जो राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए जाएंगे।

9. दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुलभता मानक प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने और जनता के साथ परामर्श, इन्हें अंतिम रूप देने और राजपत्र में अधिसूचना के लिए अनुमोदन की स्थिति के संबंध में रिपोर्टिंग।

9.1 परिषद् को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित समावेशन के सिद्धांतों को सुविधाजनक बनाने और कौशलीकरण इकोसिस्टम में दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सुलभता मानदंडों को मानकीकृत करने हेतु, एनसीवीईटी ने "दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु व्यापक सुलभता मानक प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश" तैयार किए हैं।

9.2 प्रमुख हितधारकों जैसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी) के साथ विभिन्न चरणों में परामर्श किया गया और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे चुनिंदा प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ विस्तृत परामर्श किया। इन परामर्शों के दौरान प्राप्त फीडबैक को समेकित किया गया और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एनसीवीईटी के साथ साझा किया गया और इन्हें दिशानिर्देशों में उचित रूप से समाविष्ट कर लिया गया है।

9.3 ये दिशानिर्देश एनसीवीईटी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 11 जनवरी, 2024 को दिव्यांगजनों के जीवन के एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव - पर्पल फेस्ट में जनता के साथ परामर्श के लिए संयुक्त रूप से लॉच किए गए थे। इन्हें सूचना और टिप्पणियों के लिए **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट और पीएम दक्ष पोर्टल** के साथ-साथ **एनसीवीईटी की वेबसाइट** पर भी प्रकाशित किया गया है और दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे प्रमुख संगठनों के साथ साझा किया गया। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक की जाँच की जाएगी और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और बाद में राजपत्र में इनकी अधिसूचना से पहले संगत बिन्दुओं को इनमें उचित रूप से समाविष्ट किया जाएगा।

परिषद् ने उपर्युक्त को नोट किया और इन्हें अनुमोदन प्रदान किया। परिषद् के सदस्यों से भी उनकी टिप्पणियाँ/फीडबैक साझा करने का अनुरोध किया गया जिन्हें अधिसूचना से पहले इन दिशानिर्देशों में समाविष्ट किया जा सके।

10. अर्हता की मान्यता, विनियमन और निगरानी संबंधी पहलुओं सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखण में अवार्डिंग निकाय के व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने की स्थिति की रिपोर्टिंग।

10.1 परिषद् को सूचित किया गया कि वर्तमान में अवार्डिंग निकाय के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन 27 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए 'अवार्डिंग निकायों की मान्यता और विनियमन संबंधी दिशानिर्देशों' के अनुसार प्रोसेस किए जा रहे हैं।

10.2 यह सूचित किया गया था कि कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और संशोधित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को लॉच किए जाने के बाद ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एनसीवीईटी के संकल्प में किए गए प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी मान्यता, विनियमन, निगरानी और अविनियमन सहित व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने पर काम कर रही है। अवार्डिंग निकाय के लिए मान्यता की प्रक्रिया को सुचारु बनाने, रेटिंग और चयन के लिए मानदंडों, प्रभावी तथा दक्ष आकलनों हेतु नई अभिनव आकलन पद्धतियों का प्रस्ताव करने के लिए दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है।

10.3 परिषद् से यह अनुरोध किया गया कि इसे जनता के साथ परामर्श के लिए रखने का अनुमोदन प्रदान किया जाए। अंतिम रूप से तैयार दिशानिर्देश **कार्यसूची परिचालित करके** अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी परिषद् के समक्ष रखे जाएंगे।

परिषद् ने इसे नोट किया और प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया। यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार तैयार किए गए अंतिम दिशानिर्देश अधिसूचना से पहले दिशानिर्देशों के अनुमोदन के लिए परिचालन द्वारा कार्यसूची के रूप में भेजे जा सकते हैं।

11. अर्हता की मान्यता, विनियमन और निगरानी संबंधी पहलुओं सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखण करते हुए आकलन एजेंसी के व्यापक दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने की स्थिति की रिपोर्टिंग

11.1 परिषद् को सूचित किया गया कि वर्तमान में आकलन एजेंसी के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता के लिए अनुरोध करने वाले आवेदनों को 27 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए 'आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन संबंधी दिशानिर्देशों' और प्रचालन मैनुअल के अनुसार प्रोसेस किए जा रहे हैं।

11.2 यह सूचित किया गया था कि कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और संशोधित राष्ट्रीय कौशल

योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को लॉच किए जाने के बाद ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एनसीवीईटी के संकल्प में किए गए प्रावधानों के अनुसार आकलन एजेंसियों की मान्यता, विनियमन, निगरानी और अविनियमन सहित व्यापक दिशानिर्देश पूरी तरह से संशोधित किए गए हैं और जनता के साथ व्यापक परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गए हैं। इन्हें परिषद् के सदस्यों के मूल्यवान सुझावों के लिए उनके साथ भी साझा किया जा रहा है।

11.3 परिषद् से यह अनुरोध किया गया कि इसे जनता के साथ परामर्श के लिए रखने का अनुमोदन प्रदान किया जाए। अंतिम रूप से तैयार दिशानिर्देश **कार्यसूची परिचालित करके** अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी परिषद् के समक्ष रखे जाएंगे।

परिषद् ने इसे नोट किया और प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया। यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार तैयार किए गए अंतिम दिशानिर्देश अधिसूचना से पहले दिशानिर्देशों के अनुमोदन के लिए परिचालन द्वारा कार्यसूची के रूप में भेजे जा सकते हैं।

12. एनसीवीईटी द्वारा तैयार और अनुमोदित किए गए दिशानिर्देशों की भारत के आधिकारिक राजपत्र में राजपत्र अधिसूचना और दिशानिर्देशों के संबंध में एनसीवीईटी की हैंडबुक का प्रकाशन

12.1 परिषद् को एनसीवीईटी द्वारा विकसित किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों और फ्रेमवर्क की विस्तृत जानकारी दी गई। परिषद् के संकल्प के प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी के सभी दिशानिर्देशों को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करना अनिवार्य और बाध्यकारी है। राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के लिए अपेक्षित एनसीवीईटी द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**दिशानिर्देश**	**जनता के साथ परामर्श करने और प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होने की तारीखें**	**परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख**
क)	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क-2023	26/12/2022	17/08/2023 (परिषद् की 9वीं बैठक)
ख)	शिकायत निवारण प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश	08/09/2021	17/08/2023 (परिषद् की 9वीं बैठक)

ग)	पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशानिर्देश	20/02/2023	20/03/2023 (परिषद् की 8वीं बैठक)
घ)	व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण के लिए मिश्रित अधिगम हेतु दिशानिर्देश	05/04/2022	13/07/2022 (परिषद् की 6ठी बैठक)
ड.)	मल्टी स्किलिंग - क्रॉस सेक्टोरल स्किलिंग के लिए दिशानिर्देश	18/02/2022	17/08/2023 (परिषद् की 9वीं बैठक)
च)	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानदंडों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल्स (एमसी) की तैयारी, अनुमोदन और उपयोग के लिए दिशानिर्देश	06/06/2022	20/03/2023 (परिषद् की 8वीं बैठक)
छ)	व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण में डिप्लोमा की अर्हता के लिए दिशानिर्देश	15/05/2023	17/08/2023 (परिषद् की 9वीं बैठक)
ज)	'बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश'	23/07/2023	17/08/2023 (परिषद् की 9वीं बैठक)
झ)	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए दिशानिर्देश	03/07/2023	वर्तमान बैठक में अनुमोदन के लिए रखा गया है।
ञ)	आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के लिए दिशानिर्देश	11/07/2023	

12.2 परिषद् को सूचित किया गया कि एनसीवीईटी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ परामर्श करके प्रकाशन विभाग के माध्यम से ई-गैजेट पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया में है।

परिषद् ने इसे नोट किया और ऊपर पैरा 12.1 में उल्लिखित सभी दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

13. अर्हताओं को राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (एनसीओ) कोड्स के साथ मैप करने की स्थिति की रिपोर्टिंग।

13.1 परिषद् को अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित और अनुमोदित सभी अर्हताओं के एनसीओ कोड्स के साथ मैप करने की स्थिति के बारे में सूचित किया गया। सदस्यों को देश में व्यवसाय के मानदंडों को बनाए रखने में एनसीओ कोड की भूमिका और व्यवसायों के वर्गीकरण, जॉब पदस्थापनों और रोजगार की खोज के लिए सार्वजनिक रोजगार सेवा प्रदान करने वाले रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क में इनके उपयोग के बारे में भी सूचित किया गया। एनसीओ कोड व्यवसायों का एक वर्गीकरण है जो देश में विभिन्न व्यवसायों का विवरण देता है और उन्हें कोड्स असाइन करता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों, व्यवसायों के वर्गीकरण (आईएससीओ) के साथ संरेखित करता है।

13.2 यह सूचित किया गया था कि वर्तमान में एनएसक्यूएफ द्वारा संरेखित और अनुमोदित सभी अर्हताओं के एनसीओ कोड्स को चिह्नित करने और इनमें संशोधन करने के लिए सभी अवार्डिंग निकायों के साथ परामर्श करके एक विस्तृत प्रयास किया गया था। इस संबंध में किए गए कार्य का विस्तृत विवरण परिषद् के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परिषद् को यह भी सूचित किया गया कि विभिन्न सेक्टरों में अर्हताओं की सही तथा आसान मैपिंग के लिए विस्तृत निर्देशों वाली एक हैंडबुक के साथ-साथ एनसीओ कोड्स के साथ अर्हताओं की मैपिंग के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में एनसीओ कोड्स के सरल आवंटन के लिए उपयोग के मामलों और प्रक्रिया फ्लो चार्ट्स के साथ समिति की विभिन्न सिफ़ारिशें दी गई हैं। अर्हताओं के साथ एनसीओ कोड्स की मैपिंग के संबंध में रिपोर्ट 31 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई एनएसक्यूसी समिति की 31वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। समिति की रिपोर्ट नीचे दिए गए यूआरएल के माध्यम से देखी जा सकती है:

https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/10/Report-on-Mapping-of-Qualifications-with-NCO-Codes.pdf

परिषद् ने इसे नोट किया। परिषद् ने विभिन्न व्यवसायों में एनसीओ कोड्स की मैपिंग में कमियों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की और इसकी पुष्टि की।

14. एनसीवीईटी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित की जाने वाली कौशल वर्गीकरण श्रेणियों की स्थिति की रिपोर्टिंग।

14.1 परिषद् को कौशल वर्गीकरण श्रेणियों को अपडेट करने के बारे में सूचित किया गया जो किसी विशिष्ट जॉब या पेशे के लिए अपेक्षित कौशल के वर्गीकरण और व्यवस्थापन का एक प्रणालीबद्ध तरीका है। यह विशिष्ट कार्यों और भूमिकाओं के निष्पादन के लिए ज़रूरी कौशल के विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है, और व्यक्तियों, संगठनों, और सरकारों को कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और इन्हें प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है।

14.2 कौशल वर्गीकरणों का उपयोग शिक्षा और प्रशिक्षण, कार्यबल विकास, और करियर प्लानिंग सहित विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। ये व्यक्तियों को उनके मजबूत पक्षों और सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद कर सकता है और नियोक्ताओं को एक मजबूत तथा प्रभावी कार्यबल तैयार करने के लिए ज़रूरी कौशल और क्षमताओं की पहचान करने में सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त इससे सरकार को ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिल सकती है जो कौशल विकास और प्रमुख उद्योगों के विकास में योगदान दे सकें। भारतीय संदर्भ में प्रस्तावित कौशल वर्गीकरण फ्रेमवर्क **अनुबंध V** में संलग्न है। **परिषद् के सदस्यों से इस संबंध में उनके मूल्यवान सुझाव देने का अनुरोध किया गया।**

परिषद् ने इसे नोट किया और अनुमोदन प्रदान किया।

15. स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) के संचालन: एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन और ऑन-बोर्डिंग और एसआईडी पर एनसीवीईटी के लिए एक डैशबोर्ड के प्रावधान की स्थिति की रिपोर्टिंग।

15.1 परिषद् को स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पर अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति के बारे में सूचित किया गया। एसआईडी पोर्टल एनएसडीसी द्वारा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में कौशलीकरण, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

15.2 परिषद् को सूचित किया गया कि एनएसडीसी से एसआईडी पोर्टल पर एनसीवीईटी के लिए एक डैशबोर्ड बनाने का अनुरोध किया गया है जिसके माध्यम से एनसीवीईटी सभी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन और ऑन-बोर्डिंग करेगी। सभी मान्यताप्राप्त इकाइयों को प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणन के प्रयोजनों

से स्वयं को एसआईडी पर रजिस्टर करना होगा और उन्हें एनसीवीईटी डैशबोर्ड के माध्यम से एनसीवीईटी द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। परिषद् के सदस्यों को अपडेट दिया गया जहाँ यह सूचित किया गया कि एनसीवीईटी के कुल 86 अवार्डिंग निकायों को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें से 19 अवार्डिंग निकायों (रक्षा बलों) को सुरक्षा कारणों से एसआईडी पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। अब तक एनएसडीसी द्वारा 67 अवार्डिंग निकायों में से कुल 30 अवार्डिंग निकायों (रक्षा बलों को छोड़ कर) एसआईडी पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। तथापि एनएसडीसी को एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रदान करते हुए इन्हें रजिस्टर करने के लिए एनसीवीईटी के माध्यम से समर्थकारी प्रावधान प्रदान करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त एनएसडीसी से एसआईडी पर एक अलग विशिष्ट डैशबोर्ड प्रदान करने और विनियामक पहलुओं से संबंधित डेटा साझा करने के लिए एपीआई के माध्यम से एकीकरण का भी अनुरोध किया है और इस संबंध में कार्य प्रगति पर है।

परिषद् ने विनियामक पहलुओं के संबंध में स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) का संचालन शुरू करने में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की और यह निर्देश दिया कि एनएसडीसी को कौशल इकोसिस्टम में विनियामक प्रावधानों के सुचारु तथा प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ऊपर पैरा 15.2 में उल्लिखित समर्थकारी प्रावधानों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कहा जाए।

16. रोजगार कौशल, जीवन कौशल और सॉफ्ट स्किल्स के मॉड्यूल्स/सब-मॉड्यूल्स तैयार करने की स्थिति की रिपोर्टिंग।

16.1 परिषद् को रोजगार कौशल, जीवन कौशल और सॉफ्ट स्किल्स (ईएस/एलएस/एसएस) के विभिन्न मॉड्यूल्स तैयार करने और मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों के समक्ष उनकी संबंधित अर्हताओं में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए इनकी आवश्यकता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

16.2 मॉड्यूल्स/सब-मॉड्यूल्स की सामग्री (ई-लर्निंग सामग्री और कक्षाकक्ष प्रशिक्षण सामग्री सहित) को मानकीकृत तरीके से विकसित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय) द्वारा 17 नवंबर 2023 को संकल्प स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट के वित्तपोषण के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

16.3 सामग्री शीघ्र तैयार करने के लिए कार्यक्षेत्र में उल्लिखित डिलीवरेबल्स, जिसमें हितधारकों को इसे अगले शैक्षणिक सत्र से कार्यान्वित करने में सक्षम बनाने के लिए गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना समयबद्ध रूप से इन्हें तैयार करना शामिल है, विकसित करने के लिए जेम (जेम) में रजिस्टर्ड सामग्री विकास एजेंसियां चुनने के लिए 22 दिसंबर 2023 को ई-जेम पोर्टल पर तीन आरएफपी (प्रत्येक में 3 मॉड्यूल्स) प्रकाशित किए गए थे।

16.4 एनसीवीईटी को आवश्यक संख्या में बोलियाँ प्राप्त हो गई हैं। एनसीवीईटी द्वारा एक तकनीकी मूल्यांकन समिति गठित की गई है। समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष, एनआईओएस द्वारा की जा रही है और इसमें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, यूजीसी, इग्नू, एआईसीटीई, एनआईसी, सीबीएसई, एनआईईएसबीयूडी और एसएससी के सदस्य शामिल हैं। दस्तावेजों की प्रारंभिक जाँच कर ली गई है और बोलीकर्ताओं द्वारा इनमें कमियों को दूर करके दोबारा प्रस्तुत करने के लिए कमियों को 07 फरवरी 2024 को जेम पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। उसके बाद प्राप्त हुए दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है और इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

16.5 रोजगार कौशल के लिए विकसित सामग्री स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण इकोसिस्टम सहित सभी हितधारकों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। एजेंसियों का चयन 60:40 के तकनीकी:वित्तीय भारांश के साथ गुणवत्ता लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) के आधार पर ई-जेम पर खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्रोजेक्ट के दौरान विकसित सभी सामग्री पर एनसीवीईटी/कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण होगा और उनके पास इस प्रकार विकसित सामग्री के बौद्धिक संपदा अधिकार भी होंगे।

16.6 इस प्रोजेक्ट को अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले अर्थात जुलाई 2024 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। पहले दो पाठ्यक्रमों अर्थात आधारभूत और मध्यवर्ती पाठ्यक्रम की सामग्री को 31 मार्च/30 अप्रैल 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है और शेष दो एडवांस वेरिएंट्स को 31 मई/30 जून 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। रोजगार क्षमता कौशल/जीवन कौशल/सॉफ्ट स्किल्स के 9 मॉड्यूल्स के अंतर्गत 50 सब-मॉड्यूल्स अनुबंध VI में संलग्न हैं।

16.7 प्रोजेक्ट ई-जेम के माध्यम से आवंटित किया जाएगा और कार्य को अंतिम रूप से आवंटित करने से पहले ***कार्यसूची परिचालित करके*** परिषद् का अनुमोदन लिया जाएगा।

परिषद् ने इस प्रक्रिया को और अब तक की गई प्रगति को नोट करते हुए इस पर संतुष्टि जताई और अब तक की गई कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया।

17. विश्व कौशल प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर अर्हताओं के एनएसक्यूएफ़ के साथ संरेखण तथा अनुमोदन और सहभागियों के प्रमाणन की स्थिति की रिपोर्टिंग।

17.1 परिषद् को विश्व कौशल प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई। विश्व कौशल प्रतियोगिता एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में उच्चतम स्तर का कौशल और सक्षमता प्रदर्शित करना है। भारत सरकार द्वारा विश्व कौशल/भारत कौशल सहित कौशल प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रचालन संबंधी पहलुओं का पर्यवेक्षण करने, वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने और निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के पत्र सं. एसडी-17/128/2020-ओ/ओ यूएस (एनएसडीसी) द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) गठित की गई थी।

17.2 एनईसी के निर्णयों के आधार पर विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा में सूचीबद्ध विभिन्न कौशलों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के कार्यक्षेत्र में लाया गया है ताकि प्रतिभागी जो क्रेडिट्स अर्जित करेंगे, उनका लाभ ले सकें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020/राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के समर्थकारी प्रावधानों के अंतर्गत उनका उपयोग कर सकें, और इसके माध्यम से प्रतियोगिता को अधिक आकांक्षी बना सकें जिसके परिणामस्वरूप सहभागिता बढ़ेगी और प्रदर्शन में सुधार होगा।

17.3 परिषद् को आगे सूचित किया गया कि **अनुबंध VII** में संलग्न विश्व कौशल व्यवसाय मानदंडों के अनुसार कुल 61 ट्रेड्स/कौशलों/जॉब भूमिकाओं (52 विश्व कौशल) और 09 भारत कौशलों को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित किया गया है।

17.4 चयन के विभिन्न चरणों के माध्यम से विभिन्न राज्यों से चयनित किए जा रहे प्रतिभागियों को मान्यता प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक आकलित अभ्यर्थियों को क्रेडिटाइजेशन के उद्देश्य से प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न चरणों में प्रतिभागियों को निर्धारित मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक आकलन पूरे करने के बाद पाँच अलग-अलग प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**प्रमाण-पत्र का प्रकार**	**चरण**
1	**भारत कौशल प्रतियोगिता के लिए पात्रता**	जाँच-पूर्व
2	**भारत कौशल - जिला स्तर**	जिलास्तरीय प्रतियोगिता
3	**भारत कौशल - राज्य स्तर**	राज्यस्तरीय प्रतियोगिता
4	**भारत कौशल प्री-नेशनल**	प्री-नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता
5	**भारत कौशल - राष्ट्रीय**	राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता

17.5 प्रतिभागियों को उनकी यात्रा में प्रतियोगिता के दौरान संचित किए गए व्यक्तिगत प्रमाण-पत्रों को छोड़ कर केवल उच्चतम स्तर की उपलब्धि के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

17.6 'भारत कौशल प्रतियोगिता पात्रता' प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् (एनएसडीसी) द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

17.7 शेष चार प्रकार के प्रमाण-पत्र एनसीवीईटी प्रमाण-पत्र के टेम्पलेट का अनुसरण करते हुए संबंधित सेक्टर कौशल परिषद् (एसएससी) (मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों) द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

17.8 **प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में क्रेडिट्स का संचय निम्नानुसार होगा:**

क्र. सं.	**चरण**	**इस स्तर पर संचित कुल क्रेडिट का प्रतिशत**	**क्रेडिट आवंटन प्रतिशत**	**प्रमाण-पत्र पर प्रकाशित क्रेडिट्स**
1	जाँच-पूर्व	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	जिला	10%	10%	2
3	राज्य	20%	30% (10+20)	5
4	प्री-नेशनल	30%	60% (10+20+30)	10
5	राष्ट्रीय	40%	100% (10+20+30+40)	17

टिप्पणी: *विभिन्न स्तरों पर संचित कुल क्रेडिट का प्रतिशत प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर अनुमानित औसत आकलन घंटों पर आधारित है।*

परिषद् को आगे सूचित किया गया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने दिनांक 20.11.2023 के का.ज्ञा. सं. एसडी-17/128/2020-ओ/ओ यूएस (एनएसडीसी) द्वारा भारत कौशल प्रतियोगिता 2023 और विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 के लिए दिशानिर्देश जारी किए

हैं। एनसीवीईटी की उपर्युक्त कार्रवाई को दिनांक 20.11.2023 के का.ज्ञा. सं. एसडी-17/128/2020-ओ/ओ यूएस (एनएसडीसी) के साथ पढ़ा और कार्यान्वित किया जाना है। (दिशानिर्देशों का लिंक नीचे दिया गया है: https://drive.google.com/file/d/1M2pMF2fCW2_kpfM7sZhredonp2rhT3Or/view?usp=drive_link n

परिषद् ने कार्यसूची को नोट करते हुए संतुष्टि जताई और इसकी पुष्टि की।

18. एनएसक्यूएफ के साथ संरेखण और अनुमोदन की तारीख से 3 माह (90 दिन) के अंदर अर्हता/एनओएस/एमसी के संबंध में सामग्री अनिवार्य रूप से विकसित करने पर एनएसक्यूसी के निर्णय की स्थिति की रिपोर्टिंग

18.1 परिषद् को सूचित किया गया कि अर्हता विकास और अनुमोदन की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार संबंधित अवार्डिंग निकाय अर्हताएँ और संबंधित एनओएस, पीसी और मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करते हैं।

18.2 तथापि, पीएमकेवीवाई 4.0 लागू करने के दौरान यह देखा गया था कि इस योजना के अंतर्गत चयनित 715 एनएसक्यूएफ संरेखित तथा अनुमोदित अर्हताओं में से केवल 372 एनएसक्यूएफ संरेखित तथा अनुमोदित अर्हताओं के लिए इन अर्हताओं हेतु प्रतिभागी हैंडबुक (पीएच) और सुविधा प्रदाता गाइड (एफजी) उपलब्ध थी। प्रतिभागी हैंडबुक (पीएच) और सुविधा प्रदाता गाइड (एफजी) न होने से इन अर्हताओं की समग्र गुणवत्ता और सफल कार्यान्वयन उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुआ।

18.3 इसलिए एनएसक्यूसी ने अपनी 34वीं बैठक में यह अधिदेश दिया कि एनएयक्यूसी द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार की अर्हताओं के लिए संबंधित अवार्डिंग निकाय अर्हता अनुमोदित किए जाने की तारीख से 3 माह (90 दिन) के अंदर सामग्री तैयार करने की पुष्टि करते हुए संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित लिखित पुष्टि प्रदान करेंगे, और ऐसा न होने की स्थिति में अर्हताएँ निष्क्रिय कर दी जाएंगी/संग्रह में डाल दी जाएंगी। एनएसक्यूसी की 34वीं बैठक से पहले विकसित की गई अर्हताओं के लिए अवार्डिंग निकायों को सामग्री बनाने और एनएसक्यूसी की आगामी बैठकों में इसे सूचित करने के लिए 06 माह की समयसीमा दी गई है।

परिषद् ने इसे नोट किया और इस संबंध में लिए गए कदमों पर सहमति जताई।

19. पीएम विश्वकर्मा (चरण 2.0- 120 घंटे का एडवांस्ड मॉड्यूल) के लिए अर्हताएँ (एनओएस को अपस्किल करना) विकसित करने और ई-सामग्री तैयार करने के प्रस्ताव की स्थिति की रिपोर्टिंग

19.1 परिषद् को सूचित किया गया कि विश्वकर्माओं को अभिनव आधुनिक/पावर टूल्स की जानकारी प्रदान करने, कार्य करने में कठिन श्रम को कम करने और डिजिटल साक्षारता, वित्तीय साक्षारता, मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग और स्वरोजगार की जानकारी के संबंध में विश्वकर्माओं के दक्षता स्तरों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉच की गई थी। इसके अतिरिक्त पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आधारभूत मॉड्यूल के अंतर्गत चरण 1.0 के दौरान अपस्किलिंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 18 चिह्नित ट्रेड्स में 28 अर्हताएँ (एनओएस को अपस्किल करना) चयनित की गई हैं।

19.2 पीएम विश्वकर्मा स्कीम की पाठ्यक्रम संरचना निम्नलिखित तरीके से संकल्पित की गई है:

19.2.1 पीएम विश्वकर्मा स्कीम 1.0 - 40 घंटे का आधारभूत मॉड्यूल

19.2.2 पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2.0 - 120 घंटे का एडवांस्ड मॉड्यूल

19.3 **पीएम विश्वकर्मा स्कीम 1.0** के अंतर्गत संकल्पित पाठ्यक्रम संरचना नीचे दिए गए अनुसार 40 घंटे के आधारभूत मॉड्यूल के रूप में प्रदान की जा रही है:

क्र. सं.	**40 घंटे के आधारभूत मॉड्यूल के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कौशल**	**अधिगम के अनुमानित घंटे**
क)	पीएम विश्वकर्मा स्कीम का परिचय	02-03 घंटे
ख)	आधुनिक टूल-किट्स का उपयोग और नए टूल्स में अपग्रेड करना (ट्रेड विशिष्ट)	25 घंटे (15 घंटे + 10 घंटे*)
ग)	डिजिटल कौशल	05 घंटे
घ)	वित्तीय साक्षारता	05 घंटे
ड.)	मार्केटिंग और ब्रांडिंग	05-08 घंटे
च)	स्वरोजगार और छोटे पैमाने पर उपक्रम स्थापित करने और संबंधित उद्यमशीलता कौशल के लिए 1 लाख रुपये की ऋण राशि का उपयोग	05 घंटे

∗10 घंटे की डोमेन विशिष्ट सामग्री पाठ्यक्रम-पूर्व सामग्री के रूप में उपलब्ध करवाई जानी है

19.4 आधारभूत मॉड्यूल के अंतर्गत सभी 28 अर्हताओं के लिए प्रशिक्षुओं (विश्वकर्मा) और प्रशिक्षकों के लिए हैंडबुक्स के रूप में विकसित शिक्षण सामग्री/विषयवस्तु भी संबंधित अवार्डिंग निकायों द्वारा एनएसडीसी के साथ परामर्श से तैयार की गई है और पूरे देश में निष्पादित की जा रही है।

19.5 120 घंटे के एडवांस्ड मॉड्यूल के रूप में कार्यान्वयन के लिए **पीएम विश्वकर्मा 2.0** के अंतर्गत संकल्पित पाठ्यक्रम संरचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**120 घंटे के एडवांस्ड मॉड्यूल के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कौशल**	**कौशलों के प्रकार**	**अधिगम के अनुमानित घंटे**
क)	नई मशीनों/टूल्स/उपकरणों का उपयोग	प्रमुख कौशल (ट्रेड विशिष्ट)	30 घंटे
ख)	उद्यमशीलता कौशल, डिजाइन कार्यशालाएँ और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मॉड्यूल्स		45 घंटे
ग)	एडवांस्ड डिजिटल कौशल	सभी अर्हताओं के लिए सामान्य कौशल	15 घंटे
घ)	एडवांस्ड वित्तीय कौशल		15 घंटे
ड.)	एडवांस्ड मार्केटिंग और पहुँच कौशल		15 घंटे
कुल			**120 घंटे**

परिषद् सदस्य और अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सुझाव दिया कि क्रम 19.5(क) पर मॉड्यूल "नई मशीनों/टूल्स/उपकरणों का उपयोग" की अवधि बढ़ा कर 45 घंटे और क्रम 19.5(ख) पर "उद्यमशीलता कौशल, डिजाइन कार्यशालाएँ और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मॉड्यूल्स" मॉड्यूल की अवधि 30 घंटे कर दी जाए।

परिषद् ने सुझाव पर सहमति जताई और इन परिवर्तनों के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

20. डीईपी पोर्टल विकसित करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की ऑनबोर्डिंग की स्थिति और इस संबंध में प्रगति की रिपोर्टिंग।

20.1 डीईपी पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में प्रगति का अपडेट देते हुए परिषद् को सूचित किया गया कि ई-जेम प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए परिषद् के अनुमोदन से 10 नवंबर 2023 को टीसीएस को एनसीवीईटी के डिजिटल उद्यम पोर्टल (डीईपी) के विकास, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में ऑनबोर्ड किया गया।

20.2 टीसीएस के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआती बैठक 20 नवंबर 2023 को आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के अनुसार एनसीवीईटी द्वारा विभिन्न हितधारकों, और टीसीएस की टीम के साथ विभिन्न कार्यशालाएँ की गई हैं।

20.3 तत्पश्चात एनसीवीईटी ने आंतरिक रूप से वायरफ़्रेम्स की समीक्षा की है और विभिन्न हितधारकों से इस पर इनपुट्स प्राप्त करने के लिए उनके साथ वायरफ़्रेम्स का मसौदा भी साझा किया है। प्राप्त हुए इनपुट्स को उचित रूप से समाविष्ट कर लिया गया है। वायरफ़्रेम्स की प्रगति की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**कार्य**	**स्थिति**	**टिप्पणी**
1	संशोधन और अपनाने सहित अर्हता, एनओएस, माइक्रो क्रेडेंशियल अनुमोदन	जारी है	एनसीवीईटी ने 1 फरवरी 2024 को टीसीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित वायरफ़्रेम पर टिप्पणियाँ साझा की हैं। टीसीएस टीम वायरफ़्रेम्स के अंतिम मसौदे पर काम कर रही है।
2	मान्यता वायरफ़्रेम - अवार्डिंग निकाय, आकलन एजेंसी	जारी है	एनसीवीईटी ने 18 जनवरी को टीसीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित वायरफ़्रेम पर टिप्पणियाँ साझा की हैं। टीसीएस द्वारा 24 जनवरी को संशोधित वायरफ़्रेम्स प्रस्तुत किए गए थे और वे इसे प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मसौदे पर काम कर रहे हैं।
3	शिकायत निवारण	जारी है	टीसीएस द्वारा संशोधित वायरफ़्रेम हितधारकों की टिप्पणियों के लिए उनके साथ साझा किया गया है (कार्य जारी है)।
4	निगरानी - अवार्डिंग निकाय, आकलन एजेंसी	जारी है	टीसीएस द्वारा संशोधित वायरफ़्रेम हितधारकों की टिप्पणियों के लिए उनके साथ साझा किया गया है (कार्य जारी है)।

परिषद् ने इस संबंध में प्रगति को नोट करते हुए संतुष्टि जताई और निर्देश दिया कि यद्यपि एसआई के होते हुए भी समयसीमा का अनुपालन किया जाना चाहिए, परंतु डीईपी के लिए तैयारी कार्यों की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना पूरी निष्ठा के साथ की जानी चाहिए।

21. संकल्प स्कीम के अंतर्गत एनसीवीईटी के साथ संलग्न ईवाई टीम के प्रोजेक्ट्स और कार्य की प्रगति की स्थिति की रिपोर्टिंग।

21.1 परिषद् को सूचित किया गया कि एनसीवीईटी को एक विनियमित इकोसिस्टम के माध्यम से मजबूत उद्योग इंटरफ़ेसिंग, बेहतर परिणामों के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए चरणबद्ध प्रभावी विनियम, अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के लिए मानदंड स्थापित करना सुनिश्चित करना होगा। राष्ट्रीय कौशल विनियामक के तौर पर एनसीवीईटी राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, मिश्रित अधिगम, भविष्य के कौशल, रोजगार सक्षम बनाने वाले कौशल, माइक्रो क्रेडेंशियल्स, कौशल विश्वविद्यालयों और अन्य विभिन्न पहलों से संबद्ध विषयों के संबंध में दिशानिर्देशों और नीतियों पर काम कर रही है।

21.2 तदनुसार संकल्प प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे ईवाई पीएमयू के एक्सटेंशन के तौर पर अक्तूबर 2023 से चरणबद्ध रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के संसाधन एनसीवीईटी में परिनियोजित किए गए हैं।

21.3 परिषद् को आगे निम्नानुसार संसाधनों की परिनियोजन समय-सारिणी के बारे सूचित किया गया:

नाम	**परिनियोजित किए जाने की तारीख**	**प्रमुख कार्य**
1. श्री विक्रांत चावला	अक्तूबर 2023	एनएसक्यूएफ स्तर वर्णनकर्ता, आकलन एजेंसियों और अवार्डिंग निकायों के लिए दिशानिर्देश और निगरानी
2. सुश्री शास्वती प्रमाणिक	अक्तूबर 2023	आकलन एजेंसियों और अवार्डिंग निकायों के लिए दिशानिर्देश और निगरानी, एम एंड ई फ्रेमवर्क
3. श्री गिरीश कुन्दन झा	अक्तूबर 2023	आकलन एजेंसियों और अवार्डिंग निकायों के लिए दिशानिर्देश और निगरानी, एम एंड ई फ्रेमवर्क
4. श्री अर्जुन नंदा	नवंबर 2023	समग्र प्रोजेक्ट प्रबंधन

5. सुश्री अंजली मन्हास	नवंबर 2023	एनएसक्यूएफ स्तर वर्णनकर्ता, अर्हता अनुमोदन प्रक्रिया, आकलन एजेंसियों और अवार्डिंग निकायों के लिए दिशानिर्देश और निगरानी
6. श्री शाहनवाज़ अहमद	नवंबर 2023	आकलन एजेंसियों और अवार्डिंग निकायों के लिए दिशानिर्देश और निगरानी, आईटी विशेषज्ञ
7. श्री अनुराग गुप्ता	जनवरी 2024	अर्हता अनुमोदन प्रक्रिया के लिए आईटी टूल्स तैयार करना
8. सुश्री नेहा गुप्ता	फरवरी 2024	जनवरी 2024 में जॉइन किया है। फरवरी 2024 से परिनियोजित किया जाना है
9. श्री सुरजीत सिकदर	फरवरी 2024 से जॉइन करना है	परिनियोजित किया जाना है

21.4 पीएमयू द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य और आगे की कार्य योजना नीचे दी गई है:

कार्य क्षेत्र	**अब तक की उपलब्धि**	**आगे की योजना/जारी**	**पूरा किए जाने की लक्षित तारीख**
निगरानी प्रणाली: आकलन एजेंसियां (एए)	• स्वचालित शीट के आधार पर बनाया गया मासिक निगरानी प्रारूप • डैशबोर्ड प्रदर्शित किया गया • नए रिपोर्टिंग प्रारूपों के अनुसार आकलन एजेंसियों का क्षमता निर्माण। • वार्षिक निगरानी प्रारूप।	**निम्नलिखित को अंतिम रूप देना:** • डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। • जोखिम की निगरानी और रेटिंग प्रारूप। • डीईपी में समाविष्ट करने के लिए टीसीएस के साथ साझा किया गया।	15-03-2024
निगरानी प्रणाली: **अवार्डिंग निकाय (एबी)**	• मासिक निगरानी के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	• डेटा सत्यापन के साथ मासिक डेटा के लिए प्रारूप को अंतिम रूप दिया	29-02-2024

	• तीन अवार्डिंग निकायों के साथ परीक्षण किया गया है।	जाना है और अवार्डिंग निकायों के साथ साझा किया जाना है।	
डीईपी समर्थन	**वायरफ़्रेम्स के संबंध में साझा किए गए इनपुट्स:** • आकलन एजेंसी को मान्यता देना • अवार्डिंग निकाय को मान्यता देना (मानक और दोहरी) • नई अर्हता अनुमोदित करने की प्रक्रिया • अपनाई गई अर्हता • संशोधित अर्हता • शिकायत निवारण • डैशबोर्ड	• दिए गए और समाविष्ट किए गए इनपुट्स पर डीईपी टीम (एनसीवीईटी + टीसीएस) के साथ समीक्षा और चर्चा।	31-03-2024
नई अर्हता के अनुमोदन की प्रक्रिया	• डीईपी के माध्यम से अर्हता अनुमोदन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना • प्रत्येक प्रक्रिया में स्वचालन निहित है - ओएम, वर्णनकर्ता, डिजिटल हस्ताक्षर, वर्गीकरण	• प्रक्रिया में सुधार और टूल विकसित करने का कार्य पूरा करना।	31-03-2024
एनएसक्यूएफ वर्णनकर्ता	• वर्तमान में तैयार किए जा रहे संस्करणों में सुधार और उनका सत्यापन • वर्णनकर्ताओं पर आधारित स्तर चयन टूल	• एनसीवीईटी द्वारा विकास की समीक्षा और हितधारक के साथ परामर्श की समय-सारिणी का निर्धारण	15-03-2024

एनएसक्यूएफ कंपेनियन वॉल्यूम		• विषय-वस्तु की तालिका तैयार की जानी है	29-02-204
आईटी टूल्स	• जीईएन-एआई टूल के विकास को अधिक सुलभ तथा लाभकारी बनाने के उद्देश्य से एनसीवीईटी की आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुसार संशोधित और सेट-अप करना। • जॉब पोर्टल स्क्रैपर (लिंक्डइन/नौकरी) • आकलनों के लिए विडियो विश्लेषण टूल। • विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली विडियो रिकॉर्डिंग्स बनाने के संबंध में हितधारकों के साथ चर्चा शुरू की गई	• डेमो और टूल्स सेट अप करने के लिए हाई एंड पीसी की व्यवस्था की जा रही है। • एनसीवीईटी को डेमो दिया जाना है। ऐसे विडियो के लिए अन्य आकलन एजेंसियों/अवार्डिंग निकायों के साथ चर्चा।	• डेमो इन वीक 4 मार्च 2024 को शुरू हो रहा है 15-03-2024
अन्य	• सोशल मीडिया कार्यनीति दस्तावेज़ • डिजिटल सामग्री बनाने संबंधी दिशानिर्देश	• अभी शुरू होना बाकी है	30-04-2024

परिषद् ने अब तक की गई प्रगति को नोट किया।

22. एनसीवीईटी डीईपी पोर्टल के लिए क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए बजट का प्रावधान।

22.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी के लिए डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल (डीईपी) के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन हेतु आरएफपी के अनुसार डीईपी एप्लिकेशन को क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा। इस संबंध में, सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा दी गई आवश्यकताओं के अनुसार उक्त एप्लिकेशन को होस्ट करने के लिए एनसीवीईटी को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद की आवश्यकता होगी।

22.2. अंतिम लागत पर परिषद् का अनुमोदन *एक अलग एजेंडे का परिचालन करके* लिया जाएगा ।

परिषद् ने इस पर विचार किया और सैद्धांतिक मंजूरी दी।

23. **शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना अर्हता की पुनर्संरचना की रिपोर्टिंग और इसकी पुष्टि**

23.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि मुख्य रूप से आईटीआई में दीर्घकालिक प्रशिक्षण संबंधी डीजीटी इकोसिस्टम ने संशोधित राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार अपनी सीआईटीएस और सीटीएस अर्हताओं/ पाठ्यक्रमों को संरेखित करने के लिए निरंतर कार्य किया है। इसलिए, सभी सीआईटीएस पाठ्यक्रमों को ट्रेड, थ्योरी और प्रैक्टिकल (डब्ल्यूसीएस, इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए ईडी, नॉन-इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स सहित) और प्रशिक्षण पद्धति (थ्योरी और प्रैक्टिकल) के 1600 घंटे से 1200 घंटे तक और भाषा विषयों सहित अल्पकालिक पाठ्यक्रमों पर 240 घंटे तक के अतिरिक्त प्रशिक्षण के विकल्प के साथ ओजेटी/ग्रुप प्रोजेक्ट के अनिवार्य 150 घंटे में संशोधित किया गया है।

23.2 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) की सभी 55 सीआईटीएस अर्हताओं और 152 सीटीएस अर्हताओं को विधिवत पुनर्संरचित और युक्तिसंगत बनाया गया है तथा एनएसक्यूसी में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुपालन में इसे राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पोर्टल पर अपलोड किया गया है। 55 पुनर्संरचित और

युक्तिसंगत बनाई गई शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) अर्हताओं का विवरण दिया गया है।

परिषद् ने इसे नोट किया और इसकी पुष्टि की।

24. राष्ट्रीय कौशलीकरण फ्रेमवर्क और कार्य योजना की स्थिति की रिपोर्टिंग: हरित ऊर्जा कौशल, डिजिटल कौशल फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय एआई कौशल योजना (एनपीएआई) और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कौशल योजना

24.1. परिषद् को राष्ट्रीय कौशलीकरण फ्रेमवर्क की स्थिति और हरित ऊर्जा कौशल फ्रेमवर्क, डिजिटल कौशल फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय एआई कौशल योजना और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कौशल योजना की कार्ययोजना से अवगत कराया गया। इसके साथ-साथ बहुत से हितधारकों के इनपुट के साथ फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है और सार्वजनिक परामर्श के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा।

24.2. **हरित ऊर्जा कौशल फ्रेमवर्क**: एनसीवीईटी ने एक हरित ऊर्जा कौशल फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसका विजन सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए भविष्य में हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए लोगों और समुदायों को आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। यह फ्रेमवर्क प्रमुख सिद्धांतों जैसे आवश्यकता आधारित, सुगम्यता और समावेश, स्थिरता, सहयोग और साझेदारी के आधार पर बनाई गई है।

24.3. **डिजिटल कौशल फ्रेमवर्क:** एनसीवीईटी ने एक डिजिटल कौशल फ्रेमवर्क विकसित किया है जो इन महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने और उनके बहुआयामी प्रभावों का पता लगाने की रणनीतियों से संबंधित है। इसके साथ ही कई हितधारकों के इनपुट के साथ इस फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है और सार्वजनिक परामर्श के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा।

24.4. **राष्ट्रीय एआई कौशल योजना (एनपीएआई):** एनपीएआई के 'एआई में कौशलीकरण' घटक को सुदृढ़ करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा एनसीवीईटी के कार्यकारी सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशलीकरण फ्रेमवर्क कार्यक्रम की रिपोर्ट अब माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता और शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से जारी की गई है।

24.5. **राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण कौशल योजना:** सेमीकंडक्टर उद्‌योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु कार्यबल के लिए कौशल विकास की रणनीति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए दिनांक 29 सितंबर 2023 को सचिव, एमएसडीई द्‌वारा एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। सेमीकंडक्टर उद्‌योग में कुशल कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इसके अलावा दिनांक 2 नवंबर 2023 और 12 जनवरी 2024 को क्रमशः दो बैठकें आयोजित की गईं। दूसरी बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

परिषद् ने इस पर संतोष व्यक्त किया।

25. एमएसडीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की रिपोर्टिंग

25.1. परिषद् को सूचित किया गया कि सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के तहत नियम 229 (xi) के प्रावधानों को देखते हुए प्रत्येक संगठन/संस्थान इत्यादि को प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये से अधिक की बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, जिसमें कार्यक्रम के विवरण के संदर्भ में निष्पादन मापदंडों, आउटपुट के लक्ष्यों और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ निष्पादन की इकाइयों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाएगा और यह इन संगठनों को प्रदान किए जाने वाले बजटीय समर्थन का आधार होना चाहिए।

25.2. एनसीवीईटी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीस करोड़ रुपये की *अनुदान सहायता* आवंटित किए जाने के कारण एनसीवीईटी के प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने भी समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, यह बताया गया कि एनसीवीईटी द्‌वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए एमएसडीई को शीघ्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है।

परिषद् ने इसका संज्ञान लिया।

26. एनईपी 2020 और एनसीआरएफ के तहत एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं/ पाठ्यक्रम और उसके लिए क्रेडिट्स प्रदान करने के उद्देश्य से चुने गए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एनसीवीईटी के डीम्ड अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्रदान करना।

26.1. परिषद् को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020)** का संक्षिप्त विवरण दिया गया, जिसमें शिक्षा को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने की परिकल्पना की गई है और यह भारत में मुख्यधारा की शैक्षणिक व्यवस्था के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) में सुधार के उद्देश्य से सामान्य (शैक्षिक) शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के इकोसिस्टम के एकीकरण पर जोर देती है ।

26.2. परिषद् को यह भी बताया गया कि उपरोक्त एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम को लागू करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को सक्षम और सुकर बनाया जाए, जिससे छात्रों/शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है और ऐसे कार्यक्रम आकांक्षी बनते हैं।

26.3. इसके अलावा, परिषद् को सूचित किया गया कि विभिन्न आईएनआई और केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल आकलन और प्रमाणन के लिए **डीम्ड अवार्डिंग निकाय** (दोहरी श्रेणी) का दर्जा देने पर विचार किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 06 आईएनआई और सीयू ने अपनी रुचि अभिव्यक्त की है और तदनुसार उन्हें एनसीवीईटी के आशय के संबंध में सूचित किया गया है। इन उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आईआईटी मंडी, आईआईटी रूड़की, आईआईटी रोपड़, एनआईटी कुरूक्षेत्र, एनआईटी कालीकट, दिल्ली विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय शामिल हैं।

परिषद् ने ऊपर उल्लिखित सक्षमकारी प्रावधान बनाने के अच्छे पहल की सराहना की और इसकी पुष्टि की।

27. एनसीवीईटी में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

27.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में एनसीवीईटी में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। एनसीवीईटी के 80 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है और तदनुसार, कार्यालय के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों एवं

कर्मचारियों को अपना समस्त सरकारी काम-काज हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं।

27.2 इसके अतिरिक्त, परिषद् को दिनांक 9 मई, 2022 से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उत्तरी दिल्ली) की सदस्यता प्राप्त है। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन उपायों की सहायता से कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है।

27.3 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर हिंदी प्रभारी तथा कार्यालय प्रमुख का आईडी और पासवर्ड बना लिया गया है और राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से सम्बंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जा रही है। इस वर्ष की तीनों तिमाहियों (अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर तथा अक्टूबर-दिसंबर, 2023) की रिपोर्टें राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं।

27.4 परिषद् की नई वेबसाइट द्विभाषी रूप में तैयार की गई है। वेबसाइट पर उपलब्ध हिंदी सामग्री को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। हाल ही में खरीदे गए नए कंप्यूटरों पर भी द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। कार्यालय के विभिन्न मानक प्रारूपों को हिंदी में भी तैयार कर दिया गया है। एनसीवीईटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सरकारी काम-काज हिंदी में करने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए कार्यालय में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष हिंदी पखवाड़े के दौरान 07 हिंदी प्रतियोगिताओं अर्थात हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता, श्रुतलेखन प्रतियोगिता, एमटीएस, ड्राईवर एवं हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए श्रुतलेखन प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता तथा अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

27.5 महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती (11 दिसंबर) को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया गया और इस दौरान 'मेरी मातृभाषा-मेरे हस्ताक्षर अभियान', हिंदी कार्यशाला तथा बहुभाषी सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित बहुभाषी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 09 राजभाषाओं- पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, गढ़वाली और उड़िया में विभिन्न प्रस्तुतियां दीं।

27.6 इसके अलावा, एनसीईवीटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मन में हिंदी भाषा के प्रति रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह किसी प्रख्यात रचनाकार की एक कहानी का परिचालन किया जाता है। ये कहानियां ऑडियो एवं लिखित, दोनों ही रूप में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये कहानियां अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारतीय

संस्कृति/ साहित्य से परिचित करवाने के साथ-साथ हिंदी के ज्ञान को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं।

27.7 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन में एनसीवीईटी के संबंधित दो अधिकारियों ने भाग लिया। एनसीईवीटी में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे उक्त प्रयासों से कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

परिषद् ने संतोषपूर्वक, कार्य प्रगति की सराहना की।

28. "व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस)" में भारतीय भाषाओँ के कार्यान्वयन पर प्रगति

28.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी देश भर में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भारतीय भाषाओँ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एनएसक्यूएफ अपनी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के साथ लगातार काम कर रहा है कि एनएसक्यूसी संरक्षण प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्हताएं हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में प्रस्तुत की जाए। अब तक 60% अर्हताओं (सक्रिय) का अनुवाद किया जा चुका है।

28.2 इसके अतिरिक्त, सभी अवार्डिंग निकायों को निदेश दिया गया था कि 15 अप्रैल 2023 के बाद, एनएसक्यूसी में अनुमोदन के लिए अर्हता फाइलें और पाठ्क्रम अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में प्रस्तुत किए जाएं। अप्रैल 2023 से अब तक एनएसक्यूसी बैठकों में कुल 921 अर्हताएं स्वीकार की गईं। सभी अनुमोदित अर्हताएं द्विभाषी रूप में प्रस्तुत की गईं।

28.3. परिषद् को भारतीय भाषाओँ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया।

28.3.1. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में, एनसीवीईटी के साथ-साथ मैसूरू के केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ), भारतीय भाषा समिति (बीबीएस), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के सहयोग से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय **"भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समागम"** का आयोजन किया गया।

28.3.2. दो दिवसीय शिखर सम्मलेन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। शिखर सम्मलेन के दौरान भारतीय

भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी चर्चा के तीन मुख्य क्षेत्र थे।

28.3.3. एनसीवीईटी में 11 दिसंबर, 2023 को महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती को **भारतीय भाषा उत्सव** के रूप में मनाया गया और इस उत्सव में मेरी मातृभाषा मेरे हस्ताक्षर अभियान, बहुभाषी सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्षेत्रीय व्यंजनों/ जलपान की व्यवस्था जैसी गतिविधियाँ की गई थीं। एनसीवीईटी ने सभी अवार्डिंग निकायों को निर्देशित किया था कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती 11 दिसंबर, 2023 को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाए।

28.4 भारतीय भाषा समिति द्वारा सभी विज्ञापनों/ विज्ञप्तियों आदि को द्विभाषी रूप में जारी करने का सुझाव दिया गया है। इस विषय में राजभाषा अनुभाग, एनसीवीईटी द्वारा आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कार्यालय द्वारा प्रशासन अनुभाग, एनसीवीईटी को सभी विज्ञापन/ प्रेस विज्ञप्तियां इत्यादि द्विभाषी अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी/ प्रकाशित करना सुनिश्चित करने के लिए पुनः कहा गया है।

परिषद् ने उक्त जानकारी पर ध्यान दिया और संतोष व्यक्त किया।

29. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) इकोसिस्टम में कार्य एकीकृत/ प्रशिक्षुता एम्बेडेड कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों का निर्माण

29.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 5 दिसंबर 2018 की एनसीवीईटी की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एनसीवीईटी को कौशल विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, उन्नत व्यावसायिक शिक्षा और अनुसंधान को सुकर बनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अधिदेश प्राप्त है। कई दौर के परामर्श और कार्य समूहों के गठन के बाद मार्च 2023 में एनसीवीईटी द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) को प्रस्तुत किया गया।

29.2. इसके बाद, एमएसडीई ने दिनांक 10 अप्रैल 2023 के अपने आदेश के तहत मानदंडों में लचीलापन और एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए अलग मानदंड सहित कौशल विश्वविद्यालयों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए यूजीसी, एआईसीटीई, एमएसडीई, एनईटीएफ और एनसीवीईटी के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति बनाई है। इसके अलावा, एमएसडीई के दिनांक 26 जून 2023 के आदेश के अनुसार यही समिति **'डिग्री प्रशिक्षुता पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार**

करने और उनकी अधिसूचना' के विषय की भी जांच करेगी और इस पर अपनी सिफारिशें देगी ।

29.3. तदनुसार, वीईटीएस इकोसिस्टम के भीतर शिक्षार्थियों के लिए रोजगार के उच्चतर अवसरों को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों को उद्योग के भीतर ही व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए हितधारकों के साथ निकट समन्वय और सहयोग के साथ वीईटीएस में कार्य/ प्रशिक्षुता निहित कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। ये दिशानिर्देश प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के प्रावधानों और मौजूदा एनएपीएस दिशानिर्देशों पर आधारित होंगे।

29.4. इसी प्रकार डिग्री कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षुता दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए जाएँगे।

परिषद् ने अब तक की प्रगति का संज्ञान लिया और इसमें तेजी लाने के लिए इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कहा।

30. कर्मयोगी - भारत प्लेटफॉर्म पर नामांकित और प्रशिक्षित किए गए एनसीवीईटी के कर्मचारियों की संख्या की रिपोर्टिंग

30.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि कर्मयोगी भारत एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) है जो संस्थागत फ्रेमवर्क का एक प्रमुख स्तंभ है, इसका लक्ष्य आईगॉट (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी प्लेटफार्म को संचालित करना, इसके समग्र प्रशासन व्यवस्था का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना है कि सिविल सेवा अधिकारियों की समग्र अर्हता को बढ़ाने के लिए उन्हें कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से शिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य पूरा कर सके।

30.2. तदनुसार, निदेशकों, उपनिदेशकों, सलाहकारों और यंग प्रोफेशनल्स समेत 13 अधिकारियों ने कर्मयोगी भारत पोर्टल पर अपना नामांकन किया है और पोर्टल पर दिए गए आईगॉट पाठ्यक्रमों को पूरा कर रहे हैं।

परिषद् ने इसका संज्ञान लिया।

31. वीईटीएस में एलटीटी और एसटीटी के लिए संशोधित प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स की रिपोर्टिंग

31.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी के द्वारा इसकी विभिन्न बैठकों में एलटीटी, एसटीटी और अन्य विभिन्न कौशल कार्यक्रमों के लिए 17 प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स को मंजूरी दी गई है, जो निम्नलिखित हैं:

31.1.1. सशस्त्र बल (तीनों सेनाएं)
31.1.2. राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र (एनएसी)
31.1.3. राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी)
31.1.4. सीटीएस के तहत प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली
31.1.5. सीटीएस के अंतर्गत फ्लेक्सी एमओयू
31.1.6. कौशल क्षमता एसटीटी के लिए प्रमाणपत्र
31.1.7. राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र
31.1.8. कौशल अर्हता के लिए प्रमाणपत्र - लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी)
31.1.9. राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के लिए प्रमाणपत्र
31.1.10. माइक्रो क्रेडेंशियल के लिए प्रमाणपत्र
31.1.11. अपस्किलिंग के लिए प्रमाणपत्र
31.1.12. रिस्किलिंग के लिए प्रमाणपत्र
31.1.13. पूर्व शिक्षा को मान्यता देने के लिए प्रमाणपत्र
31.1.14. अपस्किलिंग के साथ पूर्व शिक्षा को मान्यता देने के लिए प्रमाणपत्र
31.1.15. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता वैकल्पिक ट्रेड के लिए प्रमाण पत्र
31.1.16. विश्वविद्यालय के लिए प्रमाणपत्र
31.1.17. स्कूल बोर्ड के लिए प्रमाणपत्र

31.2. वीईटीएस इकोसिस्टम में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उपरोक्त सभी प्रमाणपत्रों के लिए (रक्षा प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स को छोड़कर) संबंधित प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स की सीडीआर फाइलें व्याख्यात्मक नोट्स के साथ संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचित कर दी गई हैं।

31.3. इस संबंध में, माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने सुझाव दिया था कि प्रमाणपत्र में वॉटरमार्क के बजाय 'कौशल भारत' लोगो को प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए और आकलन का संचालन करने वाली आकलन एजेंसी का नाम भी प्रमाणपत्र में ही दर्शाया जाना चाहिए। .

31.4. इस निर्देश के परिणामस्वरूप सभी 17 प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स में ऊपर उल्लिखित अनुसार बदलावों को शामिल किया गया है।

परिषद् ने इस पर संतोषपूर्वक ध्यान दिया और इसे मंज़ूरी दी।

32. एनसीवीईटी की पुनर्निर्मित वेबसाइट तथा एनक्यूआर पोर्टल पर स्थिति अद्यतन

32.1. दिनांक 20-03-2023 और 17-08-2023 को आयोजित क्रमशः 8 वीं और 9 वीं बैठकों में परिषद् को एनसीवीईटी की वेबसाइट और एनक्यूआर पोर्टल पर किए गए विभिन्न प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया।

32.2. एनक्यूआर पोर्टल पर अतिरिक्त यूआई/यूएक्स संवर्द्धन अब पूरा हो गया है और फ्रंट एंड और बैक ऑफिस पर किए गए नवीनतम बदलाव अब वेबसाइट पर दिखाई दे रहे हैं और निम्नानुसार हैं:

32.3. **फ्रंट एंड:**

32.3.1. अर्हता की प्रकृति को दर्शाने वाली सांकेतिक और आकांक्षी छवियों को अवार्डिंग निकायों से लिया गया है और इन्हें प्रत्येक अर्हता के समक्ष दर्शाया गया है।

32.3.2. प्रथम पृष्ठ पर पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम और वर्ल्डस्किल / इंडियास्किल प्रतियोगिता के लिए डिज़ाइन की गई अर्हताओं को दर्शाने वाला एक अलग खंड (सेक्शन) बनाया गया है।

32.3.3. एडवांस्ड फ़िल्टरिंग विकल्प अर्हताओं को उनके एनएसक्यूएफ स्तर, अनुमानित घंटे, आवश्यक अनुभव, अर्हता के प्रकार और अवार्डिंग निकाय के नाम के आधार पर फ़िल्टर करने में शिक्षार्थियों को सक्षम बनाते हैं।

32.4. **बैकएंड:**

32.4.1. अर्हता को अपलोड करते समय संभावित मानवीय त्रुटियों को रोकने और अपलोड करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए, प्रत्येक अर्हता के एनओएस को अपलोड करने के लिए बैक ऑफिस में एक्सेल अपलोडिंग और ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन फीचर को इनेबल किया गया है।

32.4.2. अर्हता को अपलोड करने के लिए प्रवेश मानदंड विकल्पों को एनसीआरएफ दस्तावेज़ में निर्धारित की गई प्रवेश आवश्यकताओं के अनुसार सुव्यवस्थित किया गया है।

32.4.3. एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त प्रत्येक अवार्डिंग निकाय के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार किए गए हैं, जो उनको आवंटित किए गए सेक्टर्स के लिए निर्दिष्ट अर्हताओं को अपलोड करने में उन्हें सक्षम बनाता है, और बिना किसी त्रुटि के सुव्यवस्थित, अनुकूलित अर्हता का अपलोड सुनिश्चित करने के लिए एनसीवीईटी अधिकारियों के लिए मेकर-चेकर मॉडल में दो स्तरों पर एक अनुमोदक लॉगिन को इनेबल किया गया है। दोनों स्तरों पर जांच और अनुमोदन पूरा हो जाने पर ही अर्हताओं को लाइव किया जाएगा।

32.5. इसके अलावा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी वेबसाइट को नवीनतम यूआई/यूएक्स संवर्द्धन के साथ लाइव किया गया है।

परिषद् ने इसे नोट किया और वेबसाइटों पर किए गए सुधारों की पुष्टि की।

32.6. इसके साथ-साथ इस बात पर चर्चा की गई कि शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम में तेजी से हुए बदलावों के आलोक में वेबसाइट को वर्तमान कार्यकलापों की स्थिति के साथ संरेखित करने के लिए इसमें और अधिक संशोधन एवं परिवर्धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य क्षेत्र के लिए अनुबंध में पहले से ही प्रावधान है। मौजूदा विक्रेता ने इस पर काम किया है और इसमें लगने वाले समय और मानव श्रम के आधार पर इस अतिरिक्त कार्य को करने के लिए 7,00,000 रुपये की अतिरिक्त लागत प्रस्तुत की है।

परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा विक्रेता द्वारा दिए गए अनुमानित मानव श्रम और समय का सत्यापन/ परीक्षण करने के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) का गठन करके प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। टीईसी की रिपोर्ट के आधार पर केवल उतने ही कार्य निष्पादित किए जाएं जो अनुबंध के तहत अनुमत अतिरिक्त कार्य और लागत की सीमा के भीतर शामिल हों।

33. एनसीवीईटी के प्रशासनिक, वित्त और कानूनी मामले

33.1. **एनसीवीईटी में प्राधिकृत चेक हस्ताक्षरकर्ता के लिए नया समाधान**

33.1.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 13.07.2022 को आयोजित परिषद् की छठी बैठक में निम्नलिखित पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया- एनसीवीईटी के उप निदेशक (वित्त) 50,000/- तक (केवल पचास हजार रुपये) पहले हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, एनसीवीईटी के उप. निदेशक (वित्त) और निदेशक (प्रशासन) 50,000/- (पचास हजार रुपये) से 2,50,000/- तक (दो लाख पचास हजार रूपए) तक की राशि के लिए संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, और एनसीवीईटी के निदेशक (प्रशासन) और निदेशक (वर्टिकल 2) 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) से अधिक की राशि के लिए संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता होंगे।

33.1.2. तथापि, संबंधित अधिकारियों के स्टेशन पर उपलब्ध नहीं होने के समय आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए परिषद् के विचार और अनुमोदन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी।

क्र.सं	चेक/ पीएफएमएस में दी गई राशि	हस्ताक्षरकर्ता	हस्ताक्षरकर्ता की अनुपस्थिति के मामले में प्रथम लिंक हस्ताक्षरकर्ता	लिंक/ पहले हस्ताक्षरकर्ता की अनुपस्थिति के मामले में द्वितीय लिंक हस्ताक्षरकर्ता
1.	50,000/- रूपए तक	उप निदेशक (वित्त)	उप निदेशक (प्रशासन)	उप निदेशक (आईटी)
2.	50,000/- रूपए से 02,50,000/- रूपए तक **(संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता)**	उप निदेशक (वित्त)	उप निदेशक (प्रशासन)	उप निदेशक (आईटी)
		निदेशक (ए एवं एफ)	निदेशक (वर्टिकल- 1)	निदेशक (वर्टिकल- 3)
3.	02,50,000/- रूपए से अधिक	निदेशक (ए एवं एफ)	निदेशक (वर्टिकल-1)	निदेशक (वर्टिकल- 3)

	(संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता)	निदेशक (वर्टिकल-2)	निदेशक (वर्टिकल-1)	निदेशक (वर्टिकल- 3)

परिषद् ने इस पर विचार किया और इसे मंज़ूरी दी।

33.2. **एनसीवीईटी को आवंटित नए कौशल भवन की चौथी मंजिल पर किए गए अतिरिक्त सिविल/ इलेक्ट्रिक/ फर्निशिंग कार्यों की रिपोर्टिंग।**

33.2.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि न्यू मोती बाग में कौशल भवन की चौथी मंजिल एनसीवीईटी को आवंटित की गई है और दिनांक 1 जून 2023 को एनसीवीईटी इस नए भवन में शिफ्ट हो गई है। कार्यालय के कर्मचारियों को समायोजित करने और इष्टतम कार्य प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, एनसीवीईटी ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की थी जिनमें कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप तत्काल बदलाव की जरूरत थी और इसे उपयुक्त बदलाव करने के लिए एनबीसीसी/ एमएसडीई को सूचित किया गया था।

33.2.2. लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, कुछ कार्य एनबीसीसी द्वारा पूरे किए गए। तथापि, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी से संबंधित कई कार्य अभी भी लंबित थे, जिसके कारण एनसीवीईटी के सुचारू और कुशल प्रचालन में बाधा आ रही थी। संपन्न / चिह्नित किए गए अतिरिक्त कार्यों की सूची इस प्रकार है:-

क. लघु सम्मेलन/ चर्चा कक्ष के निर्माण के लिए मौजूदा खाली स्थान को केबिन का रूप देना, जो एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अर्हता के लिए सभी हितधारकों के परामर्श, आगंतुकों से मिलने आदि (सिविल, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर की खरीद इत्यादि) और ईएम (एनपी) के चैंबर के लिए बैठक कक्ष के लिए आवश्यक है।

ख.चौथी मंजिल पर हरे पौधों की व्यवस्था। एमएसडीई और एनएसडीसी के द्वारा भी यह व्यवस्था स्वयं ही की गई है।

ग. कैंटीन में सुविधाएं (टाइल्स और बिजली के कार्य), विद्युत उपकरणों के उपयोग को बेहतर करने और वेट एरिया में स्वच्छता और साफ - सफाई सुनिश्चित करने के लिए।

घ. एनसीवीईटी एरिया के रास्ते में चौथी मंजिल के दो दरवाजों पर एक्सेस कंट्रोल लॉक को शिफ्ट करना।

ङ. विजिटर एरिया और कॉम्पेक्टर्स के लिए कक्ष के निर्माण के लिए शीशे के पार्टीशंस।

च. चौथी मंजिल पर एनसीवीईटी का नाम डिस्प्ले बोर्ड और साइनेज इत्यादि।

छ. सम्मेलन कक्ष, अध्यक्ष के कार्यालय और कार्यकारी सदस्य के कार्यालय के लिए 03 टीवी (दो 65 इंच के और एक 86 इंच का स्मार्ट टीवी)।

ज. चौथी मंजिल पर कैंटीन के लिए 01 चाय/कॉफी वेंडिंग मशीन।

झ. अध्यक्ष के कार्यालय और कार्यकारी सदस्य के कार्यालय में ब्लैक आउट ब्लाइंड्स/ स्क्रीन्स।

ञ. एनसीवीईटी के अध्यक्ष के कार्यालय के लिए 01 फ्रिज।

ट. एनसीवीईटी के अध्यक्ष के कार्यालय के लिए टफन्ड टेबल ग्लास।

ठ. 02 चर्चा कक्ष / बैठक कक्ष के लिए 20 कुर्सियों और 02 मीटिंग टेबल (6'x4') की व्यवस्था।

ड. शौचालयों में 05 हैण्ड ड्रायर एवं 05 टिश्यू डिस्पेंसर लगाना।

ढ. फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर प्यूरीफायर आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले पावर/ इलेक्ट्रिक सॉकेट वाले आवश्यक पावर पॉइंट्स लगाना।

ण. अध्यक्ष के कार्यालय में लगे हुए सभी सॉकेट के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानक फिटमेंट लगाया जाएगा।

त. एसी द्वारा तापमान को नियंत्रित करने की स्वचालित प्रणाली इनस्टॉल तथा सुनिश्चित की जाएगी (एनबीसीसी द्वारा)।

थ. कुछ ए/सी एयर फ्लो की नलियों को बंद किया जाएगा (एनबीसीसी द्वारा)

द. चौथी मंजिल पर अन्य विविध कार्य:-

I. सभी दीवारों की सफाई।

II. पीओपी का री-टचिंग कार्य कराया जाना है ।

III. कुछ स्थानों पर पेंट और डिस्टेंपर की अंतिम कोटिंग की आवश्यकता है।

IV. सभी दरवाजों का सन माइका मुख्य कमरे के रंग का ही होना चाहिए।

V. सभी दरवाजों पर डोरमैट लगाया जाएगा।

VI. शीशे/ खिड़कियों में एयर गैप और साउंड प्रूफिंग, जिसे सिलिकॉन से भरा जाएगा।

VII. खिड़की के शीशे की सफाई।

VIII. मशीन से फर्श की बफिंग और सफाई।

IX. यूरोपीय कमोड में जेट लगाया जाएगा।

कार्यालय को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक कुछ जरूरी कार्य, जो एनबीसीसी के दायरे में नहीं थे और एनबीसीसी द्वारा निष्पादित नहीं किए गए थे, परिषद् द्वारा पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं, क्योंकि ये भवन को कार्यात्मक बनाने के लिए जरूरी थे। अन्य आवश्यक कार्य भी प्रगति पर हैं/ अभी पूरे होने बाकी हैं। संबंधित निदेशक द्वारा यह बताया गया कि इन्हें जीएफआर/ जीईएम के तहत उचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया गया है/ निष्पादित किया जा रहा है।

परिषद् ने इस पर विचार किया, पूर्ण किए गए कार्य की पुष्टि की और जीएफआर/ जीईएम के तहत उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के अध्यधीन शेष मदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

33.3. **एनसीवीईटी के रिसेप्शन के कार्यप्रचालन के लिए रिसेप्शनिस्ट सह- फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के पद का सृजन**

33.3.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि चौथी मंजिल पर स्थित एनसीवीईटी कार्यालय में व्यक्तिगत या कार्यालयी कार्यों के लिए आने वाले आगंतुकों की आवाजाही को निर्दिष्ट और व्यवस्थित करने के लिए समुचित रिसेप्शन स्थापित करने की जरूरत महसूस की गई थी।

33.3.2. इसलिए एनसीवीईटी में आगंतुकों का सम्मानपूर्वक स्वागत करने और कार्यालयी कार्यों के लिए आने वाले आगंतुकों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और उनका उचित रिकॉर्ड रखने के लिए रिसेप्शनिस्ट सह फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के एक पद के सृजन का प्रस्ताव किया गया था।

परिषद् ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसे मंजूरी दी।

33.4. **एनसीवीईटी में इंटर्नशिप पर एसओपी - पुष्टि**

33.4.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 16.03.2022 को आयोजित की गई परिषद् की 5वीं बैठक में इंटर्नशिप दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई थी। तथापि, इंटर्नशिप के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण, दिनांक 13.07.2022 को आयोजित परिषद् की छठी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पात्रता मानदंड को शिथिल किया गया था:

क) पात्र संस्थानों के पूल को पूर्व में 100 के स्थान पर शीर्ष 500 एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थानों तक बढ़ाया गया था।

ख) स्टाइपेंड की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया।

33.4.2. एनसीवीईटी में प्रशिक्षुओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, इंटर्नशिप जारी रखने की शर्तों और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की पात्रता आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने के लिए उनकी नियुक्ति और कार्यकलापों को सुव्यवस्थित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुओं के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे प्रत्येक बार डेढ़ महीने पूरे करने पर एक दिन की छुट्टी की अनुमति; और मासिक आधार पर स्टाइपेंड का संवितरण। तदनुसार, एसओपी तैयार किया गया और इस पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया और सभी संबंधितों के बीच वितरित किया गया। **एसओपी अनुबंध VIII** पर **संलग्न है।**

परिषद् ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसकी पुष्टि की।

33.5. **सेवानिवृत्त परामर्शदाता की नियुक्ति की स्थिति - रिपोर्टिंग**

33.5.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी में लगातार बढ़ते काम और अधिकांश नियमित रिक्तियों पर एमओएफ /एमएसडीई द्वारा पुनर्विचार/अनुमोदन में हो रही प्रतीक्षा को देखते हुए, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए डीओपीटी / एमओएफ द्वारा समय-समय

पर जारी किए गए निबंधन और शर्तों के अनुरूप सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

33.5.2. तदनुसार, निम्नलिखित सेवानिवृत्त परामर्शदाताओं को प्रारंभ में छह महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे भावी आवश्यकता/पदधारी के कार्यनिष्पादन के आधार पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाएगा।

क) परामर्शदाता (न्यायालयी मामले, सतर्कता, शिकायत आदि) - सेवानिवृत्त, लेवल-12 के अधिकारी, 16.02.2024 तक ज्वाइन करने की आशा है

ख) परामर्शदाता (प्रशासन)- सेवानिवृत्त, अवर सचिव स्तर के अधिकारी, दिनांक 19.09.2023 को ज्वाइन किया।

ग) परामर्शदाता (लेखा/ वित्त)- सेवानिवृत्त, अवर सचिव स्तर के अधिकारी, 25.01.2024 को ज्वाइन किया।

घ) परामर्शदाता(राजभाषा) - सेवानिवृत्त, सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी (हालाँकि पीएसयू से सेवानिवृत्त हैं, सरकारी अधिकारी के समकक्ष स्तर से पारिश्रमिक तय करने की मांग की जा रही है)।

परिषद् ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसकी पुष्टि की।

33.6. **एनसीवीईटी के आईटी उपकरण (लैपटॉप) का बीमा।**

33.6.1. परिषद् को सूचित किया गया कि दिनांक 17.08.2023 को आयोजित 9 वीं बैठक में परिषद् द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 26 लैपटॉप का बीमा कराया गया है और 23487/- रूपए के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है तथा एनसीवीईटी को पॉलिसी दस्तावेज़ प्राप्त हो गया है।

परिषद् ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसकी पुष्टि की।

33.7. **एनसीवीईटी में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए रक्षा एलटीसी नियमों को लागू किया जाना**

33.7.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि मानक तय करने, व्यापक विनियमन करने और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल इकोसिस्टम को बढ़ाने

के उद्देश्य से एनसीवीईटी दिनांक 1 अगस्त, 2020 से काम कर रहा है। निदेशकों और उप निदेशकों के पद रक्षा बलों सहित भारत सरकार के सभी क्षेत्रों से उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरे जा रहे हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार रक्षा बलों के दो अधिकारी (सेवारत) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नवंबर 2020 से एनसीवीईटी में शामिल हुए हैं।

33.7.2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/ भारत सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों और प्रतिनियुक्ति की शर्तों के प्रासंगिक खंडों को ध्यान में रखते हुए, एनसीवीईटी में प्रतिनियुक्ति के दौरान रक्षा बलों के अधिकारियों को वार्षिक आधार पर एलटीसी की मौजूदा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अतिरिक्त, उनके ऐसे किसी भी लंबित दावे का निपटान करने और इसके बाद लागू होने की स्थिति में एनसीवीईटी में प्रतिनियुक्ति पर रक्षा बलों के अधिकारियों को भी यही सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था।

एमएसडीई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और परिषद् सदस्य ने सुझाव दिया कि विषय वस्तु पर विचार करने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव को एमएसडीई के साथ साझा किया जाना चाहिए। परिषद् ने इस सुझाव पर सहमति दी।

33.8. **एनसीवीईटी के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवश्यकता के आधार पर आमंत्रित/ नियुक्त किए गए विशेषज्ञों का सिटिंग शुल्क**

33.8.1. यह बताया गया कि दिनांक 13.07.2022 को आयोजित परिषद् की छठी बैठक में परिषद् के द्वारा यंग प्रोफेशनल्स, परामर्शदाता (ग्रेड- I), परामर्शदाता (ग्रेड- II) और वरिष्ठ परामर्शदाताओं की भर्ती के लिए निम्नलिखित तीन सामान्य संरचना वाली समितियों की मंजूरी दी गई थी।

क) **<u>स्क्रीनिंग समिति:</u>**

i. निदेशक, एनसीवीईटी-समिति के अध्यक्ष
ii. उप निदेशक, एनसीवीईटी- सदस्य
iii. उप निदेशक, एनसीवीईटी- सदस्य

ख) **<u>यंग प्रोफेशनल्स/ परामर्शदाता ग्रेड-1 के पद के लिए परामर्शदात्री मूल्यांकन समिति</u>**:

i. कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी - अध्यक्ष (ईएम-1 और ईएम-2 रोटेशन के आधार पर होंगे)
ii. कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी- सदस्य (ईएम-1 और ईएम-2 रोटेशन के आधार पर होंगे)

iii. निदेशक, एनसीवीईटी-सदस्य
iv. एक बाहरी विशेषज्ञ - अध्यक्ष, एनसीवीईटी द्वारा नामित किए जाएँगे।

ग) <u>वरिष्ठ परामर्शदाता /परामर्शदाता ग्रेड-2 के पद के लिए परामर्शदात्री मूल्यांकन समिति:</u>

i. अध्यक्ष, एनसीवीईटी- अध्यक्ष।
ii. कार्यकारी सदस्य-1, एनसीवीईटी- सदस्य।
iii. कार्यकारी सदस्य-2, एनसीवीईटी- सदस्य।
iv. एक बाहरी विशेषज्ञ- अध्यक्ष, एनसीवीईटी द्वारा नामित किए जाएँगे।

33.8.2. इसलिए, यंग प्रोफेशनल्स/परामर्शदाता ग्रेड-I/परामर्शदाता ग्रेड-II की नियुक्ति के लिए परामर्शदात्री मूल्यांकन समिति (समितियों) में बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए, अध्यक्ष, एनसीवीईटी के अनुमोदन से बाहरी विशेषज्ञों को मामले दर मामले के आधार पर 4000/- प्रति दिन की दर से सिटिंग शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

33.8.3. इसके अलावा, यह भी अवगत कराया गया कि समय-समय पर यथा-संशोधित व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के कार्यालय ज्ञापन सं. 19047/10/2016- ई.IV दिनांक 12.04.2017 के अनुसार, हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह या ऐसे किसी अन्य बैठक/ व्याख्यानों/ कार्यशाला जैसे विभिन्न आयोजनों के दौरान आयोजित व्याख्यानों/ कार्यशालाओं के लिए भी गैर-आधिकारिक बाहरी सदस्यों को शामिल किया जा रहा है।

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर ध्यान दिया और इसकी पुष्टि की।

33.9. **वर्चुअल मोड में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति**

33.9.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 12.12.2022 को आयोजित परिषद् की 7वीं बैठक में, परिषद् ने अन्य संशोधनों के अलावा एनसीवीईटी में इंटर्नशिप के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड में "स्नातक की पढ़ाई कर रहे (अंतिम वर्ष) या स्नातक पूरा करने वाले उम्मीदवारों" के रूप में संशोधन/ शामिल किया था। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि इंटर्नशिप की

नीति में अध्यक्ष की मंज़ूरी से जरूरत के आधार पर कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है और परिषद् द्वारा उसकी पुष्टि की जा सकती है।

33.9.2. परिषद् को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षुओं के खुले विज्ञापन के प्रत्युत्तर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू, वाराणसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में **स्नातक की डिग्री** की पढ़ाई कर रहे द्वितीय/ तृतीय वर्ष के छात्रों ने वर्चुअल इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है।

33.9.3. दोनों उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के प्रशिक्षु की आवश्यकता पर विचार करते हुए, एनसीवीईटी के अध्यक्ष द्वारा स्नातक तृतीय वर्ष के दोनों (स्नातक स्तर (अंतिम वर्ष) की पढ़ाई के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड में छूट देकर) उम्मीदवारों के वर्चुअल/ ऑनलाइन इंटर्नशिप के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि राजकोष पर इसके कोई वित्तीय भार नहीं हैं।

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और इसकी पुष्टि की।

33.10. **तकनीकी परामर्शदाताओं की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव**

33.10.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएवंपीडब्ल्यू दिनांकित: 5 दिसंबर, 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) के स्थान पर एनसीवीईटी को व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। दिनांक 1 अगस्त, 2020 से, एनसीवीईटी कार्य कर रहा है और व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता की देखरेख करने के साथ विभिन्न कौशल विकास निकायों के प्रचालन को मान्यता प्रदान कर रहा है और उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और संकल्प में उल्लिखित संबंधित कर्तव्यों को पूरा कर रहा है।

33.10.2. एए और एबी के रूप में मान्यता के इच्छुक आवेदनों की प्रोसेसिंग के अतिरिक्त, व्यापक नीतियां, दिशानिर्देश, फ्रेमवर्क, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), रिपोर्ट आदि तैयार करना और इन्हें लागू करना इसके अभिन्न कार्य बन गए हैं और ये इसके विस्तार के साथ कई गुना बढ़ते गए। इसके अलावा, परिषद् को एनएसक्यूएफ के लिए अर्हताओं को संरेखित करने और उन्हें मंजूरी देने, एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एबी, एए और अन्य संबंधित

हितधारकों द्वारा किए गए प्रशिक्षण, आकलन आदि जैसी सभी कौशलीकरण की गतिविधियों की निगरानी और उनकी मॉनिटरिंग करने का अधिदेश प्राप्त है।

33.10.3. एनसीवीईटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया गया था कि तकनीकी परामर्शदाताओं की वर्तमान स्वीकृत संख्या को 24 से बढ़ाकर 34 किया जाए। संख्याबल का संशोधित विवरण निम्नलिखित अनुसार प्रस्तावित है:

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्याबल	प्रस्तावित संख्याबल
1	वरिष्ठ परामर्शदाता	1	1
2	परामर्शदाता ग्रेड II	3	5
3	परामर्शदाता ग्रेड I	10	14
4	यंग प्रोफेशनल्स	10	14
	कुल:	**24**	**34**

परिषद् ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसे एक परामर्शदाता ग्रेड II, दो परामर्शदाता ग्रेड I और दो यंग प्रोफेशनल्स प्रत्येक के 5-5 चरणों के दो चरणों में इसे लागू करने की मंजूरी दी।

33.11. **वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन**

समिति को अवगत कराया गया कि एमएसडीई ने बीई चरण में एनसीवीईटी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 20.24 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और उसके बाद एमएसडीई ने पिछले वर्ष की रिलीज से उपलब्ध 4.76 करोड़ रूपए की शेष राशि को समायोजित करने के बाद आरई 2023-24 के तहत 12.48 करोड़ रुपये पुनः आवंटित किए हैं। अब तक एनसीवीईटी को एमएसडीई से 12.48 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। एनसीवीईटी ने बीई 2024-25 में 17.56 करोड़ रुपये की मांग की है।

परिषद् ने इसका संज्ञान लिया।

33.12. **एनसीवीईटी के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं द्वारा दी गई लिखित राय और साक्ष्य पर सलाह (परामर्श सहित) सहित लिखित सलाह के लिए शुल्क। (कानूनी प्रभाग)**

33.12.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी के दिनांक 03.04.2023 के सलाह के संदर्भ में आदेश संख्या 11001/23/2022/एनसीवीईटी/13 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 11 कानूनी अधिवक्ताओं को एनसीवीईटी के पैनल में शामिल किया गया है।

33.12.2. तथापि, "यह पाया गया कि विधायी कार्य विभाग के दिनांक 01.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन में (केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणियों के अधिवक्ता को देय शुल्क के संशोधन के संबंध में न्यायिक अनुभाग), साक्ष्य पर सलाह (परामर्श सहित) के साथ-साथ लिखित राय और लिखित सलाह के लिए किसी प्रकार के शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है।

33.12.3. यह भी नोट किया गया कि विधायी कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 26(1)/ 2014/ न्या. दिनांकित 01.10.2015 के अनुसार साक्ष्य पर सलाह (परामर्श सहित) के साथ-साथ लिखित राय और लिखित सलाह के लिए उच्च न्यायालय के पैनल वाले अधिवक्ता के साथ-साथ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बॉम्बे और कोलकाता पीठों में लागू शुल्क की संरचना निम्नानुसार है:

विशेष अधिवक्ता	वरिष्ठ अधिवक्ता समूह I	वरिष्ठ अधिवक्ता समूह II	कनिष्ठ अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड
₹3750	₹2250	₹1350	₹1050

33.12.4. इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव दिया गया कि **एनसीवीईटी के पैनलबद्ध** अधिवक्ताओं **द्वारा** दिए गए **साक्ष्य पर सलाह (परामर्श सहित) सहित लिखित** राय **और** लिखित सलाह के लिए विशेष

अधिवक्ता को ऊपर बिंदु - 33.12.5 में यथा उल्लिखित 3750 रूपए (केवल तीन हजार सात सौ पचास) का शुल्क देने पर **विचार किया जा सकता है ।**

परिषद् ने प्रस्ताव पर विचार किया और अन्य नियामक निकायों जैसे एआईसीटीई आदि द्वारा भुगतान की जाने वाली शुल्क की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित शुल्क के समान या उससे अधिक भुगतान किया जा रहा है, तो प्रस्ताव को अनुमोदित माना जा सकता है।

33.13. **नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स (वाईपी) के पारिश्रमिक पर 10 प्रतिशत तक कार्यनिष्पादन-आधारित वेतन वृद्धि के संबंध में एक खंड जोड़ने का प्रस्ताव**

33.13.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 16 मार्च, 2022 को आयोजित परिषद् की 5वीं बैठक में एनसीवीईटी ने यंग प्रोफेशनल्स / परामर्शदाता ग्रेड-I / वरिष्ठ परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए नीति आयोग की प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को अपनाया था।

33.13.2. एनसीवीईटी के नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स द्वारा हस्ताक्षरित संविदा के बिंदु संख्या 3(च) के अनुसार, वे 70,000/- (सत्तर हजार रुपये मात्र) प्रति माह के समेकित और निश्चित वेतन/ पारिश्रमिक के हकदार हैं, जो दो वर्ष की अवधि के लिए निश्चित है।

33.13.3. आदेश संख्या ए-12013 I 02 I 201 5- प्रशा.I(बी) दिनांकित 07.12.2021 के भाग 6 के बिंदु सं. 6.2 "अनुभव, आयु और पारिश्रमिक" के अंतर्गत "नीति आयोग में परामर्शदाताओं / वरिष्ठ परामर्शदाताओं / यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश" के अनुसार नियुक्त परामर्शदाताओं के शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव और पारिश्रमिक में यह उल्लेख किया गया है कि न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष वाले "यंग प्रोफेशनल्स" के पद के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए 70,000 का निश्चित पारिश्रमिक रहेगा।

33.13.4. तथापि, नीति आयोग के दिशानिर्देशों में एक अतिरिक्त खंड, 6.3 (ए) शामिल किया गया है जिसमें दिया गया है कि “यदि एक वर्ष से अधिक के लिए संविदा है, तो एक वर्ष पूरा होने पर वार्षिक आधार पर परामर्शदाताओं/ यंग प्रोफेशनल्स के पारिश्रमिक की समीक्षा की जा सकती है। पारिश्रमिक में वृद्धि वर्ष के दौरान उनके कार्यनिष्पादन पर आधारित होगी जो निम्नलिखित

मानदंडों के अनुसार सीईओ, नीति आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप से गठित होने वाली समीक्षा समिति की सिफारिश के बाद होगी-:

33.13.5. उपरोक्त खंड को ध्यान में रखते हुए और नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की सेवा की गुणवत्ता, ईमानदारी और समर्पण को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव दिया गया था कि न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का कार्यकाल पूरा होने के बाद **संविदा अवधि के दौरान यंग प्रोफेशनल्स के कार्यनिष्पादन के आधार पर** उनका पारिश्रमिक 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पारिश्रमिक में वृद्धि उत्पादकता को प्रोत्साहित करेगी, और यंग प्रोफेशनल्स को संगठन के लिए और अधिक योगदान करने के लिए प्रेरित करेगी।

33.13.6. नीति आयोग के दिशानिर्देशों में यथा- उल्लिखित यंग प्रोफेशनल्स के कार्यनिष्पादन - आधारित वेतन वृद्धि के लिए उपर्युक्त खंड के अनुरूप, यह सुझाव दिया गया था कि एनसीवीईटी द्वारा नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की संविदा को तदनुसार संशोधित किया जाए और इसे उन सभी मौजूदा यंग प्रोफेशनल्स के लिए लागू किया जाए जिनका एक वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है या जब भी एक वर्ष पूरा होगा तब इसे लागू किया जाए।

परिषद् ने इस पर विचार किया और नियोजन की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, उनकी संविदा की अवधि के दौरान उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर पारिश्रमिक को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी।

33.14. **एनसीवीईटी के लिए उपनियम बनाना**

33.14.1. परिषद् को अवगत कराया गया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू दिनांकित 5 दिसंबर 2018 के माध्यम से कौशल इकोसिस्टम में बिखरे हुए नियामक तंत्र को एकीकृत और समेकित करने के लिए और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निकायों के कामकाज को दीर्घकालिक और अल्पकालिक रूप से विनियमित करने और ऐसे निकायों के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने एनसीवीईटी को एक नियामक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। एनसीवीईटी को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन, अवार्डिंग निकायों, आकलन करने वाली एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और

प्रशिक्षण निकायों को मान्यता देने और उनके कामकाज की मॉनिटरिंग करने तथा अन्य आकस्मिक कार्यों को करने का काम सौंपा गया है।

33.14.2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5 दिसंबर 2018 की अधिसूचना के पैराग्राफ 10 (1) और (6), 13 (1), 14 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् के द्वारा उपनियम बनाया जाना है। यह तैयार किया जा रहा है और इसे आगामी बैठक में परिषद् के समक्ष रखा जाएगा।

परिषद् ने इसका संज्ञान लिया।

34. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अतिरिक्त एजेंडा।

क. *एमएसडीई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और परिषद् सदस्य ने सुझाव दिया कि जब भी एनसीवीईटी द्वारा कोई दिशानिर्देश या नीतिगत दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसे सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया जाता है, तो तत्समय परिषद् के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जाए।* ***अध्यक्ष ने इस सुझाव की सराहना की और सहमति व्यक्त करते हुए परिषद् के सचिव को इस विषय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।***

ख. *परिषद् के सदस्यों को सूचित किया गया कि एनसीवीईटी ने दिशानिर्देशों/ नीतियों का एक संग्रह तैयार किया है और उन्हें एक प्रोटोटाइप प्रति दिखाई गई थी। अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रित की जाने वाली प्रतियों की संख्या तय करने से पहले, सभी संबंधित हितधारकों को इसके संबंध में इस अनुरोध के साथ सूचित किया जाए कि वे अपने लिए आवश्यक प्रतियों की संख्या बताएं, ताकि हैंडबुक की छपाई की बेहतर किफायती योजना बनाई जा सके।*

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

Annexure I

The list of participants

Name of Member	Designation	Remarks
1) Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi	Chairperson, NCVET	Attended Physically
2) Dr. Vinita Aggarwal	Executive Member, NCVET	Attended Physically
3) Dr. Neena Pahuja	Executive Member, NCVET	Attended Physically
4) Shri Nilambuj Sharan	Non-Executive Member, NCVET & Senior EA, MSDE & Nominated Member, NCVET	Attended Physically
5) Dr. Rajnessh, IAS	Non-Executive Member, NCVET & Additional Secretary and Development Commissioner, Ministry of MSME	Attended Physically
6) Shri Kuntal Sensarma, IES	Non-Executive Member, NCVET & Economic Adviser, MeitY	Attended Physically
7) Shri Govind Jaiswal, IAS	Non-Executive Member, NCVET & Joint Secretary, Dept of Higher Education.	Attended Physically
Col Santosh Kumar	Director, NCVET & Secretary to the Council	In Attendance
Dr. Suhas Deshmukh	Director, NCVET	(in attendance)
Sh Purnendu Kant	Director, NCVET	(in attendance)

Annexure II

List of NCVET recognised Awarding Bodies (Standard) - Current Status

S. No.	Name	Stage
1	Beauty and Wellness Sector Skill Council	Agreement Signed
2	Electronics Sector Skill Council	Agreement Signed
3	Skill Council for Green Jobs	Agreement Signed
4	Handicrafts and Carpet Sector Skill Council	Agreement Signed
5	Automotive Skills Development Council	Agreement Signed
6	Food Industry Capacity and Skill Initiative	Agreement Signed
7	Rubber, Chemical & Petrochemical Skill Development Council	Agreement Signed
8	Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council	Agreement Signed
9	Management and Entrepreneurship and Professional Skills Council	Agreement Signed
10	Apparel Made-Ups and Home Furnishing Sector Skill Council	Agreement Signed
11	Capital Goods & Strategic Skill Council	Agreement Signed
12	Media and Entertainment Skill Council	Agreement Signed
13	Power Sector Skill Council	Agreement Signed
14	Textile Sector Skill Council	Agreement Signed
15	Agriculture Skill Council of India	Agreement Signed
16	Hydrocarbon Sector Skill Council	Agreement Signed
17	Healthcare Sector Skill Council	Agreement Signed
18	Paints and Coatings Sector Skill Council	Agreement Signed
19	Construction Skill Development Council of India	Agreement Signed
20	Instrumentation Automation Surveillance & Communication Sector Skill Council	Agreement Signed
21	Telecom Sector Skill Council	Agreement Signed
22	Tourism and Hospitality Skill Council	Agreement Signed
23	Water Management & Plumbing Skill Council (Indian Plumbing Skills Council)	Agreement Signed
24	Furniture and Fittings Skill Council	Agreement Signed
25	Domestic Workers Sector Skill Council	Agreement Signed
26	National Association of Software and Service Companies	Agreement Signed
27	Logistics Sector Skill Council	Agreement Signed
28	Aerospace and Aviation Sector Skill Council	Agreement Signed
29	Gem and Jewellery Skill Council of India	Agreement Signed
30	Skill Council for Persons with Disability	Agreement Signed
31	Infra structure Equipment Sector Skill Council	Agreement Signed
32	Indian Iron and Steel Sector Skill Council	Agreement Signed

33	Skill Council For Mining Sector	Agreement Signed
34	Banking, financial services and insurance (BFSI) SSC	Agreement Signed
35	Life Sciences Sector Skill Development Council (LSSSDC)	Agreement Signed
36	Leather Sector Skill Council	Agreement Signed
37	Retailers Association's Skill Council of India (RASCI)	Agreement Signed
38	Centurion University, Odisha	Agreement Signed
39	Safety Skill Dev Foundation, Gujarat	Agreement Signed
40	Medhavi Skill University, Sikkim	Agreement Signed
41	Microsoft	LoI Issued
42	Confederation of Indian Industry (CII)	LoI Issued
43	Maa Saraswati Educational Trust, Delhi	Withdrawn
44	Thesia Skill Development of India Foundation, New Delhi/ National Skill Development Trust	Withdrawn
45	Council of Skill Innovation and Certification, UP	Withdrawn
46	BECIL	Withdrawn
47	Shree Ram Vocational and Cultural Society, Delhi	Withdrawn
48	Karnimata chikitsa shikhsha Evam samaj kalyan samiti	Withdrawn
49	Bharat Sevak Samaj	Withdrawn
50	Department of Employment and Training, Telangana	Withdrawn
51	Indira Gandhi Computer Shaksharta Mission	Not found eligible
52	Smart Skill Bits & Bytes Pvt. Ltd.	Not found eligible
53	Smart & Robust Skill Foundation, Chattisgarh	Not found eligible
54	Export Promotion Council for Handicrafts	Not found eligible
55	International Inst of Hotel Management, Delhi	Not found eligible
56	G&G Foundation, Haryana	Not found eligible
57	SDI Bhubaneshwar	Not found eligible
58	Andhra Pradesh Productivity Council (APPC), Hyderabad	Not found eligible
59	Assam State Development Mission	Not found eligible
60	Express Awarding Foundation	Not found eligible
61	Universe of Social Defence (USD)	Not found eligible
62	Shivram Samajik Vikas Sansthan (SSVS)	In process
63	Sikkim Global Technical University	In process
64	The Apparel Training & Designing Centre (ATDC) - AB Standard	In process
65	The Institute of Civil Engineers Society	In process
66	Contemporary Global Skill Council	In process
67	Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN - SPACe)	In process

Annexure III

List of NCVET recognised Awarding Bodies (Dual)- current Status

S. No.	Name	Stage
1	Central Institute of Petrochemical Engineering (CIPET), Chennai	Agreement Signed
2	Additional Skill Acquisition Programme, Kerala (ASAP)	Agreement Signed
3	National Institute of Electronics and Information Technology, Delhi	Agreement Signed
4	National Film Development Corporation, Mumbai (NFDC)	Agreement Signed
5	Karnataka Skill Development Corporation	Agreement Signed
6	Indian Air Force	Agreement Signed
7	Indian Navy	Agreement Signed
8	Directorate General of Armoured Corps	Agreement Signed
9	Corps of Military Police	Agreement Signed
10	Directorate General of Artillery	Agreement Signed
11	Army Medical Corps	Agreement Signed
12	Remount Veterinary Corps	Agreement Signed
13	Directorate General of Army Air Defence	Agreement Signed
14	Electrical & Mechanical Engineering	Agreement Signed
15	Directorate General of Army Aviation	Agreement Signed
16	Corps of Signals	Agreement Signed
17	Corps of Engineers	Agreement Signed
18	Directorate General of Mechanised Infantry	Agreement Signed
19	Directorate General of Infantry	Agreement Signed
20	Army Ordinance Corps	Agreement Signed
21	Army Service Corps	Agreement Signed
22	Army Intelligence Corps	Agreement Signed
23	Army Physical Training Corps (APTC)	Agreement Signed
24	Directorate General of Army Education Corps	Agreement Signed
25	SCTEVT, Odisha	Agreement Signed
26	Indira Gandhi National Open University (IGNOU)	Agreement Signed
27	Jan Shikshan Sansthan (JSS)	Agreement Signed
28	The National Institute of Open Schooling (NIOS)	Agreement Signed
29	National Academy of RUDSETI, Karnataka	Agreement Signed
30	Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL)	Agreement Signed
31	Shri Vishwakarma Skill University, Haryana (SVSU)	Agreement Signed

32	West Bengal State Council of Tech and Vocational Education & Skill Development	Agreement Signed
33	Haryana State Electronics Dev Corp.	Agreement Signed
34	Nettur Tech Training Foundation, Karnataka	Agreement Signed
35	IIT Guwahati	Agreement Signed
36	iACE	Agreement Signed
37	CBSE	Agreement Signed
38	Mewar University	Agreement Signed
39	Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University (MRSPTU)	Agreement Signed
40	Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan	Agreement Signed
41	Ganpat University	Agreement Signed
42	Gujarat Council of Vocational Training	Agreement Signed
43	The Institute of Cost Accountants of India (ICAI)	Agreement Signed
44	Maharashtra state board of skill vocational education and training	Agreement Signed
45	Chhatisgarh Swami Vivekanand Tech University	Agreement Signed
46	UP Skill Development Mission (UPSDM)	Agreement Signed
47	National Institute of Wind Energy Ministry of New & Renewable Energy, Government of India	LoI Issued
48	Centre for Development of Advanced Computing (CDAC)	LoI Issued
49	Tamil Nadu Skill Development Corporation	LoI Issued
50	Centre for Research and Industrial Staff Performance Bhopal (CRISP)	LoI Issued
51	Indian Jute Industres Research Association (iJIRA)	LoI Issued
52	HCL Technologies	LoI Issued
53	Rajasthan RCVET	Withdrawn
54	Radha Govind University, Jharkhand	Withdrawn
55	Sikkim Professional University	Withdrawn
56	Usha Martin University	Withdrawn
57	Mangalayatam University	Withdrawn
58	West Bengal State Council for Vocational Training (WBSCVT)	Withdrawn
59	Bihar SCVT	Withdrawn
60	Mahatma Gandhi University, North-East	Withdrawn
61	Karnimata Chikitsa Shiksha Evam Samaj Kalyan Samiti	Withdrawn
62	NSDC International	Withdrawn
63	Global Skill Park, MP	Not found eligible
64	NSDC	Not found eligible
65	Engg Staff College of India (ESCI),Hyderabad	Not found eligible
66	Construction Industry Development Council (CIDC), Delhi	Not found eligible
67	Rajiv Gandhi Computer Sakshatra Mission, Rajasthan	Not found eligible

68	Keerti Knowledge and Skills Limited	Not found eligible
69	North East Frontier Tech University	Not found eligible
70	AISECT Skill Dev Organization, MP	Not found eligible
71	JITM Skills Pvt Ltd, Delhi	Not found eligible
72	Labour Employment and Environment Development Council, Gujarat	Not found eligible
73	The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR)	Not found eligible
74	Techshore Inspection Services	Not found eligible
75	BSA Institute of Skill Development	Not found eligible
76	The Institute of Engineers	In process
77	Skill Development Department, Govt. of Sikkim	In process
78	West Bengal State Council for Vocational Training (WBSCVT)	In process
79	Lamrin Tech Skills University Punjab	In process
80	Wadhwani Foundation	In process
81	State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh (SBTET, AP)	In process
82	GSDP Directorate, Ministry of Environment	In process
83	MSME Technology Centre	In process
84	Sri Sri University	In process
85	Patanjali (DYMT)	In process
86	Department of Employment and Training (DET, SCVT)	In process
87	Vidya Bharti Akhil Bhartiye Shiksha Sansthan	In process
88	Footwear Design & Development Institute	In process
89	Assam University	In process
90	Arunachal Pradesh State Council for Technical Education (APSCTE)	In process
91	Sri Aurobindo Ashram – Delhi Branch Trust Society	In process
92	IT Development Agency (ITDA), Govt. of Uttarakhand	In process
93	IBM	In process
94	The National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBD)	In process
95	Bajaj Finserv	In process
96	Andhra Pradesh Board of Intermediate Education	In process
97	Delhi Metro Rail Academy (DMRA)	In process

Annexure IV

List of NCVET recognised Assessment Agencies (Current Status)

S. No.	Name	Observations
1	Skill Mantra Edutech. Consulting India Pvt. Ltd	Agreement Signed
2	Trendsetter Skill Assesors Pvt. Ltd.	Agreement Signed
3	MSAG Skill India LLP	Agreement Signed
4	Navriti Technologies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
5	IRIS Corporate Solutions Pvt. Ltd.	Agreement Signed
6	SP Institute of Workforce Development	Agreement Signed
7	SHL India	Agreement Signed
8	Federation of Indian Women Enterprises	Agreement Signed
9	TAG Assessors Guild Private Ltd.	Agreement Signed
10	Asset Authors Pvt Ltd (A2PL)	Agreement Signed
11	Radiant Infonet Pvt. Ltd.	Agreement Signed
12	Brisk Mind Pvt Ltd.	Agreement Signed
13	Eduvantage Pvt. Ltd.	Agreement Signed
14	I Assess Consultants LLP	Agreement Signed
15	Indore Skill Assessment Services Pvt. Ltd.	Agreement Signed
16	Knowledge Partner Technologies	Agreement Signed
17	Rational Multi Skill	Agreement Signed
18	Prima Competencies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
19	Mercer|Mettl (Induslynk Training Services Pvt. Ltd.)	Agreement Signed
20	Diversified Business Solutions Pvt. Ltd.	Agreement Signed
21	Ginger Webs Pvt. Ltd.	Agreement Signed
22	Proximo Education Society	Agreement Signed
23	Palmary Projects & Services Pvt Ltd	Agreement Signed
24	CEE Vision Technologies Pvt Ltd	Agreement Signed
25	Vedokt Skill & Consulting Pvt. Ltd.	Agreement Signed
26	IVintage Solutions Pvt. Ltd.	Agreement Signed
27	Independent Qualitative Assessors Glide Pvt Ltd	Agreement Signed
28	Cleveratti Skills Pvt. Ltd.	Agreement Signed
29	Demorgia Consulting Services Pvt. Ltd.	Agreement Signed
30	Sai Graphics	Agreement Signed
31	E&E Skill Pvt. Ltd./ Invigilate Technologies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
32	Methods Apparel	Agreement Signed

33	PVR Skill	Agreement Signed
34	Hemsen Exim	Agreement Signed
35	MASCOT	Agreement Signed
36	Amrit Skill Dev Pvt Ltd	Agreement Signed
37	India Skill	Agreement Signed
38	Integrated learning Solutions/wheebox	Agreement Signed
39	Sai Skill	Agreement Signed
40	InTouch	Agreement Signed
41	Ajooni	Agreement Signed
42	elitmus	Agreement Signed
43	Shiksha Bharti	Agreement Signed
44	Vistaskills	Agreement Signed
45	NSDOS	Agreement Signed
46	Yuva Skills Foundation	Agreement Signed
47	ACE Assessment	Agreement Signed
48	Swargiya Shrimati Durga Devi Charitable Trust	Agreement Signed
49	Udhyog Vikas Sansthan	Agreement Signed
50	Khwaspuria Advisory Pvt Ltd	Agreement Signed
51	Agam Skills & Consulting Pvt. Ltd	Agreement Signed
52	Krenoz Global Services	Agreement Signed
53	Reliable projects services Pvt. Ltd.	Agreement Signed
54	Five Elements Business Solutions Pvt Ltd.	Agreement Signed
55	Testkit/ Kitbag Tech Private Limited	Agreement Signed
56	LEAD Assessment service private limited	Agreement Signed
57	S3 Assessors	Agreement Signed
58	TCS iON	LoI Issued
59	Pearson VUE	LoI Issued
60	Stallion Veritas Certification Pvt Ltd	LoI Issued
61	KAAM (Hire Mee)	LoI Issued
62	Live Core	LoI Issued
63	FORMAC Skill Dev Center	LoI Issued
64	Odisha Institute for Social Development (OISD)	LoI Issued
65	Padmanav Vastushilp Pvt Ltd.	Not found eligible
66	Futureshape	Not found eligible
67	Sima skills Pvt. Ltd.	Not found eligible
68	NSDC	Not found eligible

69	Fashion Future	Not found eligible
70	Global Infotech	Not found eligible
71	Sun Gateway	Not found eligible
72	S3 Assessors	Not found eligible
73	Shaurya 4S Sewa Samiti	Not found eligible
74	Human Development and research foundation	Not found eligible
75	People Point	Not found eligible
76	AKG Skills Pvt Ltd	Not found eligible
77	Apparel Export Promotion Council	Not found eligible
78	Future Wings Edu skill	Not found eligible
79	Briddhi Innovation	Not found eligible
80	Glocal Skill	Not found eligible
81	MRSD Info tech Services	Not found eligible
82	Excel Group	Not found eligible
83	Future Global Foundation	Not found eligible
84	Karpaga Assessment App Matrix (KAAM) Services Pvt Ltd/ HireMee	Not found eligible
85	Indian Society for Training and Development	Not found eligible
86	Lead Assessment	Not found eligible
87	Shri Guru Hargovind Society	Not found eligible
88	Cyber Dyne Private Limited	Not found eligible
89	Talent Bridge	Not found eligible
90	National Skills & Environment Protection Foundation	Not found eligible
91	Shameena Begum Edu Dev Society	Not found eligible
92	Greenarrows	Not found eligible
93	Algol	Not found eligible
94	NYSA Communications pvt ltd	Not found eligible
95	Tebro Hindustan	Not found eligible
96	Satilala Charitable	Not found eligible
97	SRPM Aspire	Not found eligible
98	Virtual SAAS pvt ltd	Not found eligible
99	Society for vocational Studies	Not found eligible
100	Bluestone solutions	Not found eligible
101	Pratham Skill Mantra	Not found eligible
102	Intent Management	Not found eligible
103	Krish Network	Not found eligible
104	Pratibha Education	Not found eligible
105	Hritvik Aggarwal Foundation	Not found eligible

106	CMS	Not found eligible
107	Global SME	Not found eligible
108	Career Point Kota	Not found eligible
109	Gravess Infotech	Not found eligible
110	Digital Skills Indo Corp	Not found eligible
111	Growwell Fincon Services	Not found eligible
112	Samriddhi	Not found eligible
113	Mahamaya Shiksha	Not found eligible
114	Sree Gayatri Natural Resources	Not found eligible
115	Sant Ravidass Educational Society	Not found eligible
116	Eminence Solutions	Not found eligible
117	FUSEC Consulting Pvt Ltd	Not found eligible
118	SIMS	Not found eligible
119	SEG	Not found eligible
120	Rangan Trust	Not found eligible
121	A to Z foundation	Not found eligible
122	Garment Export Mfg Assocaition (GEMA)	Not found eligible
123	Intellitix	Not found eligible
124	Samta Shiksha Vikas Sansthan	Not found eligible
125	Star Project	Not found eligible
126	Virtual Education Trust	Not found eligible
127	Aspire Assess Skills	Not found eligible
128	GHRP Skill India Pvt Ltd	Not found eligible
129	Oceans Assessors	Not found eligible
130	Eduquity	Not found eligible
131	Centre For Entrepreneurship Development Madhya Pradesh	Not found eligible
132	One Crew Solutions Pvt. Ltd.	Not found eligible
133	Test Key	Not found eligible
134	IKANN Skills & Consultants Pvt Ltd	Not found eligible
135	ACE Foundation	Not found eligible
136	Bhavishya Uday Shiksha Evam Baal Chetna Samiti	Not found eligible
137	Shobha Multi Speciality Services	Not found eligible
138	Career Forum Society	Not found eligible
139	Sambhav Educational & social welfare Society	Not found eligible
140	Aspire Assess Skill (AASK)	Not found eligible
141	Gupteshwar jankalyan Mahila Avam Ball vikas siksha samiti	Not found eligible
142	iamneo	Not found eligible

143	Ace Foundation	Not found eligible
144	Edus Skills Management Services	Withdrawn
145	Gupteshwar Jan Kalyan	Withdrawn
146	Flawless Beauty	Withdrawn
147	Sambhav Foundation	Withdrawn
148	Qazi Skills	Withdrawn
149	Basil India	Withdrawn
150	C&K Management	Withdrawn
151	New Saraswati	Withdrawn
152	HR Interventions	Withdrawn
153	Global Assessment	Withdrawn
154	Mirams	Withdrawn
155	Ms Certification	Withdrawn
156	Eduworld	Withdrawn
157	Explore D flair	Withdrawn
158	Rajiv Gandhi Educational Foundation	Withdrawn
159	SSD, MP	Withdrawn
160	Base Research	Withdrawn
161	Career Soft infotech	Withdrawn
162	Future Developers & Contractors	Withdrawn
163	PSG College of Technology	Withdrawn
164	Naya Savera	Withdrawn
165	Sparsh Education Trust	Withdrawn
166	Magic Abacus	Withdrawn
167	Cooperation & Assistance for Relief & Development (CARD), Bhopal	Withdrawn
168	Premia Consultancy	Withdrawn
169	Alfaa Tech Pvt Ltd	Withdrawn
170	Udichi	Withdrawn
171	Lala Fateh Chand Edu Society	Withdrawn
172	Arthav Information Technologies Private Limited	Withdrawn
173	Smart Skill Trust	Withdrawn
174	VSAA Knowledge Academy Pvt. Ltd.	Withdrawn
175	Unique Educational Society	Withdrawn
176	Sree Gayatri Natural Resources Pvt. Ltd.	Withdrawn
177	Unique Education Welfare Society	Withdrawn
178	VSAA Knowledge Academy Pvt. Ltd.	Withdrawn
179	Sparsh Education Trust	Withdrawn

180	ACE Foundation	Withdrawn
181	Inspire Youth Development	Withdrawn
182	CII	Withdrawn
183	The Indian Institute of Welding	Withdrawn
184	Gauge Squad Pvt Limited	Withdrawn
185	Bhavishya uday shiksha Evam Baal chetna samiti	Withdrawn
186	Asian intitute of English Language Pvt. Ltd.	Withdrawn
187	Satyamayba Jayate Charitable Trust	Withdrawn
188	Skill Tributaries	Withdrawn
189	Mosiac Multi Ventures Pvt. Ltd.	Withdrawn
190	International Social Worker Association	Withdrawn
191	MS Certification Services Pvt. Ltd.	Withdrawn
192	Aman Skill Programming Society	Withdrawn
193	Royal Education Research society	In process
194	Hindgrow Professionals India Pvt. Ltd.	In process
195	Sai Social Micro Finance Foundations	In process
196	Team_Shaurya_4S	In process
197	Netcom Impo Expo Pvt. Ltd.	In process
198	Ocean Assessors Guild Pvt. Ltd	In process
199	Apparel Export Promotion Council	In process
200	Asian Institute of English Language Pvt. Ltd	In process
201	IYD – Assessment Team	In process
202	Rangan Educational & Welfare Trust	In process
203	Leather Assessor Scale India Foundation	In process
204	Merindyne Skills India Pvt. Ltd.	In process
205	Garment Export Mfg Association (GEMA)	In process

Annexure V

Proposed Skills Taxonomy framework in Indian Context

1.1. ***SKILL TAXONOMY FOR INDIAN SKILLING ECOSYSTEM (STISE)*** is proposed as an Indian classification system for skills, competences, and occupations. It serves as a comprehensive reference, **providing a common terminology for skills.** STISE functions like a dictionary, describing, identifying, and categorizing professional occupations and skills that are relevant to the labor market, education, and training. It showcases the connections between occupations and skills in a systematic manner.

1.2. To create STISE, various available international skill taxonomy frameworks and national classification systems were studied and referred. Some of these are:

- World Economic Forum Framework for a Global Skills taxonomy
- US Occupational Information Network O*NET
- The European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)
- The Skills Framework for the Information Age (SFIA-08)
- The Singapore Skills Taxonomy
- The UK- Nesta skills taxonomy
- Canada Skills and Competencies Taxonomy
- Australian Skills Taxonomy
- National classification systems –Invest India, NCO, SSC sectors, NQR sectors, ISIC, NIC, RBI FDI Investment sectors, etc.

1.3. **STISE** is proposed to be of hierarchical classification consisting of 4 levels, where Skills Category will be the highest level encompassing a range of domains, occupations, and

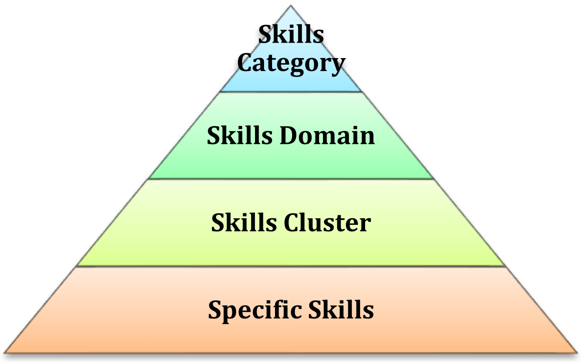

specific skills.

1.3.1. **Layer 1: Skills Category:** This topmost layer represents the broadest category of skills. A category can be defined as a class or division of people or things regarded as having shared characteristics. In the present case, Skills Category refers to division of industry sectors or groups or branches of economic activity based on shared characteristics (such as materials or processes of manufacturing or functioning or nature of revenue generated from business activities). Each Skills Category can also

be viewed as a Macro-Economic Sector that indicates activity of an industry at macro level.

It is proposed to have 70 Skills Categories to cater to the pan India diverse requirements. These Skills Categories will be static and modified only when required. The proposed 70 Skills Categories are:

S. No.	Skills Categories	Remarks
1	Aerospace & Aviation Occupations	
2	Agriculture, Forestry, Fisheries, Poultry, Animal Husbandry, and Allied Occupations	Includes- Coir, Jute, Bamboo, Tobacco
3	Defense Forces Occupations	
4	Defense Manufacturing and Maintenance Occupations	
5	Media, Arts and Entertainment, Information & Broadcasting Occupations	
6	Gem & Jewelry and Handicrafts Occupations	
7	Glass and Ceramics Occupations	
8	Life Sciences, Biotechnology and Pharmaceuticals Occupations	
9	Medical And Surgical Devices Manufacturing, and Maintenance Occupations	
10	Business and Financial Services Occupations	
11	Construction (Infrastructure) and Civil Engineering Occupations	
12	Construction Development: Townships, Housing, Built-Up Infrastructure and Construction-Development Occupations	
13	Water Management, Sewerage, Waste Management & Remediation Occupations	
14	Timber & Related Products Occupations	
15	Carpentry, Woodwork, and Furniture and Fittings Occupations	
16	Community and Social Service Occupations	
17	Education, Research, Skilling, Training, and Assessment Occupations	
18	Electronics & Hardware Manufacturing and Maintenance Occupations	
19	Electrical Equipment Manufacturing and Maintenance Occupations	
20	Conventional Energy Production, Transmission, Distribution, Management and Usage Occupations	Conventional Energy -

S. No.	Skills Categories	Remarks
		Thermal, Hydro, and Nuclear
21	Non-Conventional (Renewable) Energy Production, Management and Usage Occupations	
22	Environmental Science Related Occupations	
23	Exploration, Mining, and Minerals Occupations	
24	Coal Production Occupations	
25	Food and Beverage Processing and Manufacturing Occupations	Includes Sugar
26	Games, Sports & Physical Fitness Occupations	
27	Healthcare Professionals, Technical, and Support Occupations	
28	Digital, IT and ITeS Services Occupations	
29	Internal Security Services and Central Armed Police Forces Related Occupations	
30	Policing and Investigation Services Occupations	
31	Legal and Legislative Services Occupations	
32	Judicial Services Related Occupations	
33	Air Transportation Occupations	
34	Rail Transportation Occupations	
35	Road Transportation Occupations	
36	Sea Transportation, Ports and waterways Occupations	
37	Courier and Warehousing Occupations	
38	Organized Retail Occupations	
39	Marketing & Sales Occupations	
40	Rubber, Chemicals and Fertilizers Manufacturing Occupations	Includes - Soaps, Cosmetics & Toiletries Preparations
41	Petrochemicals Occupations	Petroleum Byproducts
42	Hydrocarbon (Petroleum & Natural Gas) Occupations	Processing of raw petroleum
43	Metallurgical Industries Occupations	
44	Paints & Coatings Manufacturing Occupations	Paint application will be under

S. No.	Skills Categories	Remarks
		respective categories
45	Mechanical Engineering, Manufacturing, and Maintenance Occupations	
46	Personal Care and Service Occupations	
47	Public Service, Administration, & Management Occupations	
48	Telecommunication Occupations	
49	Leather processing and products and Footwear Occupations	Include both Leather and non-leather footwear
50	Textile related occupations	
51	Apparel and Made-up Related Occupations	
52	Tourism & Hospitality Occupations	
53	Automotive Designing, Manufacturing and Maintenance Occupations	
54	Infrastructure Equipment Manufacturing and Maintenance Occupations	
55	Capital Goods and Industrial Machinery Manufacturing and Maintenance Occupations	
56	Other Engineering, Manufacturing, and Maintenance Occupations	
57	Mechanical & Engineering Industries Occupations	
58	Machine Tools Related Occupations	
59	Scientific Instruments Related Occupations	
60	Industrial Instruments	
61	Cement And Gypsum Products Manufacturing Occupations	
62	Paper & Paper Products Manufacturing Occupations	
63	Trading Related Occupations	
64	Consultancy Services Occupations	
65	Unorganized Sector Related Occupations	
66	Other Service Occupations	
67	Marine Related Occupations	Deep sea fishing, deep sea mining, under sea pipe/cable

S. No.	Skills Categories	Remarks
		laying and maintenance
Skill Category-Transversal		
68	Soft Skills & Life skills	Required across all the sectors
Other Categories		
69	Technology Tools	Includes all types of technology tools used in various sectors
70	Certifications	Includes OEM certifications, licenses, degrees and awards offered by academia

1.3.2. **Layer 2: Skills Domain**: It is a further subdivision of Skills Category and can be understood as a sub-sector within a macro-economic activity or sector.

1.3.3. **Layer 3: Skills Cluster:** This is at a micro level and indicates the core business activities carried out by the specific industry. Skills Clusters represents group of similar specialist tasks. The **Skills Cluster will be dynamic in nature** and new Skills Clusters will be added as per the market requirements.

1.3.4. **Layer 4: Specific Skill**: These are specific abilities that enable individuals to perform an activity or task successfully and consistently and can be built upon and extended through learning. This level represents the individual skills within each Skills Clusters. The **Specific Skills will be unique** and **may also include Skills Clusters,** which will be useful for specifying comprehensive skills for higher competency levels.

1.4. All the Specific Skills will have the description to ensure that the understanding is same across various stakeholders. As Awarding Bodies (ABs) develop new NOS as per industry requirements or industry posts jobs with emerging future skills, the related specific skills will be added, making it an ever evolving, comprehensive and dynamic "Specific Skills" database.

Annexure VI

50 sub-modules under 9 modules of Employability Skills/Life Skills/Soft Skills

Employability Skills/Life Skills/Soft Skills Modules	S.no	ES/LS/SS Sub-Modules
Communication skills	**1**	**Non-verbal communication: Body Movements and Posture, Facial Expressions, Eye Contact, Hand Gestures and Tone of Voice , Personal Grooming**
	2	**Listening skills**
	3	**Reading skills**
	4	**Written communication:** *Convey ideas and information through the use of written language.- eg. Letter and report writing*
	5	**Verbal communication :** *Convey ideas and information through the use of spoken language.*
Interpersonal/ Social Skills	**6**	**Emotional Intelligence: Self-Regulation, Self-Awareness, Self-Compassion, Self-Efficacy, Self-reflection , Mastery Orientation, Open Mindedness, Social Awareness, Empathy, Motivation**
	7	**Behavioural Skills : Harmony, Respect, Empathy, Care and Compassion, Integrity, Responsibility, Delayed Gratification, Resilience, Honesty, Independence , Perseverance, Self Confidence, Patience, Ethics, Networking, , Learning to Learn**
	8	**Stress- Management, Adaptability/Flexibility, Anger Management**
	9	**Collaboration &Team work: Participation/Delegation/Accountability**
	10	**Inclusivity and Diversity: Age diversity Gender diversity, Physical and Mental ability diversity, Religious diversity, Ethnic diversity, Racial diversity ,Sexual Orientation, Parental Status, Education, Language, Geographic Location**
	11	**Leadership**
	12	**Conflict resolution : Evaluating ideas and Arguments**
	13	**Negotiation & persuasion**

Cognitive and meta-cognitive skills	**14**	**Analytical & Critical Thinking**
	15	**Problem Solving & decision-making**
	16	**Strategic thinking**
	17	**Design Thinking**
	18	**Creativity and innovation**
	19	**Information collection, analysis and synthesis**
English and Foreign Language Literacy	**20**	**The five categories of Skills required for English/ other foreign Languages: Reading, Listening, Speaking, Writing, and Grammar**
Workplace & Job related skills	**21**	**Occupational Safety and Health**
	22	**Plan, Organize and Coordinate**
	23	**Project management: Planning Projects, Assessing Risks and Opportunities, Budgeting, Time Management, Productivity and Accountability , Monitoring and Controlling , Communicating with Stakeholders, Troubleshooting Problems**
	24	**Professional Development and Management: Getting Ready for Jobs, Job search skills, Interview Skills, Relationship management**
	25	**Resource Management- manpower, material, equipment & machinery, knowledge**
	26	**Customer service and Sales Orientation**
Foundational literacy	**27**	**Foundational Numeracy and Literacy**
	28	**Financial literacy**
	29	**Digital literacy: Use Basic Hardware, Software, Information and Communication Tech, Operate safely in an Online Environment (cybersecurity)**
	30	**Media Literacy**
	31	**Business literacy:** *knowledge of financial, accounting, marketing, and operational functions of an organization*
	32	**Legal literacy**
	33	**Disaster Management**
	34	**Wellness , Health and Hygiene literacy**

Digital Fluency	**35**	**Technology Hardware Literacy**
	36	**Use of Software and Mobile Applications**
	37	**Data Management**
	38	**Internet & Knowledge Navigation: searching through web, Evaluate Online information for credibility**
	39	**Adaptability & Learning Agility in new Technologies: Open to learning new technologies- Cloud Computing, Artificial Intelligence, I.O.T**
	40	**Cybersecurity:** *avoiding scams, preventing unauthorized access, detecting and responding to threats, data protection, data breach, regular updates.*
	41	**Ethical Use of Technology: Respecting privacy, avoiding harm (cause harm physically, emotionally & economically)**
Citizenship & Constitutional values	**42**	**Constitutional values, Citizenship skills Digital citizenship:** *ability to participate online responsibly Cultural and civic Literacy* **Cultural literacy :** *being able to understand the traditions, regular activities and history of a group of people from a given culture.* **Civic Literacy:** *is the knowledge of how to actively participate and initiate change in your community and the greater society. swatch, Health Insurance*
	43	**Green Skills :Waste Reduction and Waste Management, Environmental Awareness, Energy and Water Efficiency, Sustainability, Environmental awareness**
Self Employment & Entrepreneurship	**44**	**Business planning:** *R&D, market analysis , product analysis, customer need analysis , , making & providing products and services etc.*
	45	**Financial management: Sources of business finance, Types of business records, Recording business transactions in books of account, Preparation and Interpretation of Financial Statements, Loan Management**
	46	**Costing & Pricing-:***can be kept separately for lower levels*
	47	**Branding, marketing and networking skills**
	48	**Promotion & Sales**
	49	**Enterprise social plan and business ethics and etiquette:** *e-enterprise social responsibility and ethical behaviour like returning loans on time, making payments*
	50	**Human resource management**

Annexure VII

Sector wise details of Qualifications for WorldSkills competition

	WorldSkills specified Sector	Name of the Skill	Responsible AB (SSC)
1	**Construction and Building Technology**	Wall and Floor Tiling	Construction Skill Development Council of India
2		Plumbing and Heating	Water Management & Plumbing Skill Council
3		Electrical Installations	Electronics Sector Skill Council
4		Bricklaying	Construction Skill Development Council of India
5		Plastering and Drywall Systems	Construction Skill Development Council of India
6		Painting and Decorating	Construction Skill Development Council of India
7		Cabinetmaking	Furniture & Fittings SSC
8		Joinery	Furniture & Fittings SSC
9		Carpentry	Furniture & Fittings SSC
10		Refrigeration and Air Conditioning	Electronics Sector Skill Council
11		Concrete Construction Work	Construction Skill Development Council of India
12		Digital Construction	Construction Skill Development Council of India
13	**Creative Arts and Fashion**	Jewellery	Gems & Jewellery Skill Council of India
14		Floristry	Agriculture Skill Council of India
15		Fashion Technology	Apparel, Madeups & Home Furnishing Sector Skill Council
16		Graphic Design Technology	Media & Entertainment Skills Council
17		Visual Merchandising	Retailers Association's Skill Council of India (RASCI)
18		3D Digital Game Art	Media & Entertainment Skills Council
19	**Information and Communication Technology**	Information Network Cabling	Telecom Sector Skill Council
20		IT Software Solutions for Business	IT-ITeS Sector Skills Council NASSCOM (SSC NASSCOM)
21		Web Technologies	IT-ITeS Sector Skills Council NASSCOM (SSC NASSCOM)

22		Cloud Computing	IT-ITeS Sector Skills Council NASSCOM (SSC NASSCOM)
23		Cyber Security	IT-ITeS Sector Skills Council NASSCOM (SSC NASSCOM)
24		Mobile Applications Development	IT-ITeS Sector Skills Council NASSCOM (SSC NASSCOM)
25		Mechatronics	Electronics Sector Skill Council
26	**Manufacturing and Engineering Technology**	Mechanical Engineering CAD	Capital Goods Skill Council (CGSC)
27		CNC Turning	Capital Goods Skill Council (CGSC)
28		CNC Milling	Capital Goods Skill Council (CGSC)
29		Welding	Automotive Skills Development Council
30		Electronics	Electronics Sector Skill Council
31		Industrial Control	Automotive Skills Development Council
32		Autonomous Mobile Robotics	Electronics Sector Skill Council
33		Chemical Laboratory Technology*	Life Sciences SSC
34		Water Technology	Skill Council for Green Jobs
35		Industrial Design Technology	Media & Entertainment Skills Council
36		Renewable Energy	Skill Council for Green Jobs
37		Robot Systems Integration	Automotive Skills Development Council
38		Industry 4.0	Automotive Skills Development Council
39		Manufacturing Team Challenge*	Automotive Skills Development Council
40		Additive Manufacturing	Automotive Skills Development Council
41	**Social and Personal Services**	Hairdressing	Beauty and Wellness Sector Skill Council
42		Beauty Therapy	Beauty and Wellness Sector Skill Council
43		Pâtisserie and Confectionery	Tourism and Hospitality SSC
44		Cooking	Tourism and Hospitality SSC
45		Restaurant Service	Tourism and Hospitality SSC
46		Health and Social Care	Healthcare SSC
47		Bakery	Tourism and Hospitality SSC
48		Hotel Reception	Tourism and Hospitality SSC
49	**Transportation and Logistics**	Autobody Repair	Automotive Skills Development Council
50		Automobile Technology	Automotive Skills Development Council

51		Car Painting	Automotive Skills Development Council
52		Logistics & Freight Forwarding*	Logistics SSC
53	**Special/Exhibition Skills#**	Shoe Making	Leather SSC
54		Garment & leather accessories making	Leather SSC
55		Textile weaving handloom	Textile SSC
56		Yoga	Beauty and Wellness Sector Skill Council
57		Costume Design	Media & Entertainment Skills Council
58		Prosthetic & Makeup	Beauty and Wellness Sector Skill Council
59		AR/VR	Media & Entertainment Skills Council
60		Drone Film Making	Media & Entertainment Skills Council
61		Woven Fabric Design Development	Textile SSC

Annexure VIII

Standard Operating Procedures (SOPs) for Internship Scheme at NCVET

1. The scope of operations at NCVET has significantly diversified over a period of time, therefore a need was felt for introducing an internship scheme at NCVET. Accordingly, the NCVET Council in its 5th Council Meeting ratified the proposal for hiring of interns at NCVET. The Internship Scheme will enable the interns get exposure to pressing economic issues or specific matters of importance relating to regulators, Vocational Education and Training, Skilling, training institutions, both domestic and international.

2. Salient features of the Internship Scheme offered by NCVET are given as follows:

S.No.	Parameter	Description
a)	**Objectives**	• To familiarize selected candidates with the overall process of formulation and implementation of Guidelines, regulations, monitoring policies of NCVET by generating policy inputs • To provide an opportunity to carry out a brief research investigation into a key and specific Vocational Education and Training/ Skilling issue/problem faced by the country and offer solutions for the same

b)	**Eligibility**	(i) Essential criteria: • Minimum Educational Qualification: Candidates with outstanding academic background pursuing graduation (final year)/completed graduation or completed pursuing post-graduation or PhD in engineering/ management/ economics/science & technology social sciences/ vocational education/ skilling/ law from top 1000 ranked Universities/ Institutions as per National Institutional Ranking Framework (NIRF) of MOE or International Institutes of repute are also eligible to apply for the Internship. • The intern should be a regular student or should have passed out in the last one year. (ii) Desirable: • Experience in Policy & Planning in Social/ Development Sector preferably in Skilling/ Education domain • Implementation, Supervision & Monitoring of Skill Development Education schemes, Technology related fields • Government Consulting/ Legal, Finance, work experience with international development agencies, preferably in implementation of Programmes.
c)	**Duration of internship**	• Duration of internship is for a maximum period of six months at different points of time during a financial year. • The minimum Internship period will not be less than 3 months. However, it can be less than 03 months in special circumstances for candidates pursuing final year of graduation/ post-graduation.

d)	**Application Process**	• Interested candidates may apply online via the link made available on the NCVET website www.ncvet.gov.in in the “Careers” section on “Internship Opportunities” page • Being an open advertisement for this ongoing process, all the applications received will be scrutinized on a monthly basis for selection of interns. (1st to 30th/31st) • All the applications received through online process will be screened by the selection committee. • Shortlisted candidates will have to go through an interview process.
e)	**Number of vacancies for paid and unpaid internship**	• Number of Internships will be limited to a maximum of 10 paid* interns • Five additional unpaid interns may also be selected, out of the pool of waitlisted candidates who could not be selected for the paid internship. • **Virtual Internship:** NCVET also permits engagement of virtual interns subject to fulfillment of the following conditions: a) The intern is otherwise eligible as per the internship guidelines. b) The intern working on virtual mode will not be paid any internship stipend by NCVET. c) This will be over and above the total 10 nos. of interns approved by NCVET Council. d) The virtual interns shall be given specific project with measurable output. e) The internship certificate will be issued subject to the successful completion of the project and its assessment by the director concerned. **Selected paid interns will not be provided the option of*

		working from home.
f)	**Stipend**	• Stipend @ 15,000/- per month shall be payable to each paid intern based on the satisfactory completion of the internship and on acceptance of
		their final Report/ Papers. This is subject to the compliance with the Attendance requirement (section 7 and 8 of this SOP) for each month of stipend. In case, the attendance is short, the stipend will be paid on pro-rata basis.
g)	**Logistics and Support**	• The selected interns will be provided office space, basic internet connectivity. • The interns are expected to use their own laptops during the internship tenure.
h)	**No Objection Certificate from the institution (only for interns who are still pursuing regular education)**	• The selected interns who have not completed their education or still pursuing regular education are required to submit a No Objection Certificate from their respective academic institution.

3. Engagement of Interns:

   i. The interns will be engaged with various verticals within NCVET, each headed by a Director.

   ii. The interns will be placed with the respective Directors sequentially while keeping in view the qualifications & skills possessed by the interns, their interest areas and as per the requirements of the work.

   iii. In case, all the ten (10) positions of interns are filled at the same time, the number of interns to be allocated across four (04) verticals of NCVET each headed by a Director may be undertaken in the following manner:

Concerned Director	**No. of Interns to be allocated**
Director (Policy)	03
Director (Recognition)	03
Director (Monitoring)	03
Director (Administration and Finance)	01

iv. However, in case, the number of filled positions of interns vary at a particular point of time then a proportionate arrangement for allocation for interns may be worked out.

v. As per the vertical allocated to the intern, the concerned Director shall be the reporting officer for that intern.

4. **Orientation session for Interns:** Post the formal joining of the interns at NCVET, an orientation session may be organized by the concerned Division Heads for the newly inducted interns to familiarize them with the core responsibilities and areas of functioning of NCVET.

5. **Allocation of work:** The selected Interns will be assigned the following tasks:

a) Specific topics of work or a project by the concerned Directors which could be conducting research, writing reports, and analyzing evolving developments. The broad thematic areas of work for the internship may include (but not limited to) the following:

- Vocational Education Training and skilling related Policies, Guidelines and Regulations and their implementation
- Implementation and operationalization of National Credit Framework (NCrF)
- Recognition of Awarding Bodies and Assessment Agencies
- Monitoring and supervision of recognized entities
- NSQF alignment and approval of Qualifications
- Research and development in skilling, emerging areas of work and Future of Work
- Technology integration and implementation of Digital Enterprise Portal (DEP)
- Gender specific or PWD specific interventions
- Entrepreneurship related
- International Collaborations and research
- Any other task assigned by the Chairperson and Executive Members

b) Involvement in the work of the Division which may include ongoing tasks related to the core functioning of NCVET such as recognition and monitoring of ABs and AAs, NSQF alignment and approval of Qualifications etc.

6. Submission of Completion Report:
    a) At the end of the internship, each intern shall submit a detailed report on the work carried out and, if required, make a presentation on it to the Council.
    b) The submitted report will remain as intellectual property of the NCVET and interns shall not use it for their personal purposes. The intern shall maintain full confidentiality of any information relating to the NCVET.
    c) The completion report will be sent by the concerned Director to Director (Admin) for issuance of certificate of Internship.

7. Attendance record, working hours, leaves, and stipend related
    a) The attendance of the intern will be administered through the Biometric Attendance System (BAS) and the interns should follow the normal working hours as prescribed
    b) Stipend will be paid monthly and shall be calculated as per the number of days attended. The concerned Director shall recommend for release of stipend on monthly basis based on the output of the intern. A Performa for the same is enclosed as Annexure A.
    c) However, minimum 80% attendance every month will be compulsory for continuation of internship into the next month. In case, this minimum attendance is not maintained by the intern in the subsequent month also, the concerned Director or Director (Admin) shall issue a warning to the intern.
    d) In case, the intern fails to maintain the minimum attendance even after the warning, the contract of internship may be terminated in the ensuing month, unless supported by justifiable reasons and approval of the reporting Director.
    e) The intern shall be entitled to one (01) leave for every one and a half months of engagement.

8. Issuance of Certificate of Internship
    a) On successful completion of the internship, the certificate of internship will be issued by NCVET to the intern within 30 days subject to the following:
        - Atleast 75% attendance of the intern is observed based on the biometric records. (which takes into account official leaves, Work from Home etc.)

- The intern has worked for a minimum duration of 03 months. However, in special circumstances, the internship duration can be less than 03 months, which should be supported by justifiable reasons and approval of the reporting Director.
- Completion of tasks assigned during the internship tenure to be certified by the concerned Director subject to assessment against pre-defined learning outcomes
- Submission and approval of the completion report
- If the intern has not completed the minimum attendance requirement of 75% and not achieved the desired pre-defined learning outcomes subject to assessment, no Certificate of Internship will be issued to the intern.

b) A sample template of the certificate of internship is enclosed as Annexure B.

9. Chairperson, NCVET may relax any of the conditions mentioned above on case to case basis, based on the justified reasons. The Directors may also recommend such cases for the consideration of the Chairperson.

Annexure A

Proforma regarding satisfactory performance of intern for the release of monthly stipend

The intern Ms./Mr. ____________________________ has delivered satisfactory performance in the month of _________________. The stipend of the intern for the afore-mentioned month may be processed accordingly.

Reporting Director
NCVET

Dy. Director (Finance)
NCVET

Annexure B

F. N0. 11001/22/2022/NCVET/ Dated: -

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr./ Ms. ___________ S/D/o _______________, has successfully completed his/ her internship with National Council for Vocational Education and Training (NCVET), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), Government of India from ______________________to ________________________.

2. During the period of internship, he/ she worked in the following areas:

3. I wish him/ her every success in life & career.

Director (Administration & Finance)

NCVET